शुक्रवार,
१९ दिसंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation 13.3.42

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कच्चे पटसन की कीमतों में कमी

१. **श्री बी० के० दास**: (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान देश में कच्चे पटसन की कीमतों में एक दम हुई कमी की ओर गया है ?

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं ?

(ग) वर्तमान कीमतें गत वर्ष इन्हीं मासों में प्रचलित कीमतों की तुलना में कैसी उतरती हैं ?

(घ) पटसन के उत्पादन परिव्यय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित वर्तमान औसत मूल्य में कितना फ़र्क है ?

(ङ) क्या यह सच है कि मिलें भारतीय पटसन के मुकाबले पाकिस्तान के पटसन को खरीदना अधिक पसन्द कर रही हैं और पटसन के बाज़ार में एक प्रकार की मंदी आने का डर है ?

(च) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या करने का विचार कर रही है कि पटसन उत्पादकों को अपने माल का अच्छा मूल्य मिले ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): क्या मैं (क) से (च) तक के सब प्रश्नों के उत्तर में एक वक्तव्य दे सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हाँ

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: कच्चे पटसन की कीमत में वर्ष प्रति वर्ष तथा मास प्रति मास उतार-चढ़ाव होता रहा है। भारतीय रुपये के अवमूल्यन न होने और कोरिया में युद्ध प्रारम्भ होने से पटसन की वस्तुओं की विश्व मांग तथा कीमत में यकायक वृद्धि होने के बाद भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार गतिरोध के फलस्वरूप कच्चे पटसन की कीमत में काफ़ी वृद्धि हो गई। यह ३५ रुपये प्रति मन से, जोकि फ़रवरी १९५१ में नियंत्रित मूल्य था, बढ़ कर जून १९५१ के मध्य में १०६ रुपये प्रति मन हो गई। उसके बाद पटसन की वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय मांग कम हो गई और जून १९५२ के मध्य तक आसाम बौटम्स की कीमत गिर कर २८ रुपये प्रति मन हो गई। अगस्त १९५२ के मध्य में दाम

घट कर २५ रुपये ८ आने प्रति मन हो गये और फिर सितम्बर के मध्य में २८ रुपये ८ आने तक बढ़ने के पश्चात् अब पुनः गिर रहे हैं। आसाम बौटम्स और उस प्रकार की अन्य किस्मों की कीमत गत तीस दिनों में २२ रुपये ८ आने और २५ रुपये के बीच गिरी-चढ़ी हैं।

कुछ क्षेत्रों में यह कहा जाता है कि कीमतों में कमी आने का कारण पाकिस्तान से बेरोक टोक आयात किया जाना है। परन्तु आंकड़ों से यह बात प्रकट नहीं होती। सन् १९५१ को जुलाई से लेकर नवम्बर तक की कालावधि में भारत में मिलों को चौदह लाख गांठें दी गई जब कि इस अवधि में पाकिस्तान से आयात ११ लाख गांठों का किया गया था। इस वर्ष इसी कालावधि में भारतीय पटसन १७ लाख गांठें था जबकि पाकिस्तानी पटसन गत वर्ष आयात की गई मात्रा का लगभग आधा था। बिहार में स्थिति कुछ खराब है जहां कि नवम्बर के दूसरे पखवाड़े में कीमतें गिरकर १३ रुपये ८ आने—सहरसा में, और १५ रुपय दरभंगा में हो गई थी, हां पर्निया में यह कुछ अधिक थीं। कीमतों में यह फ़र्क कुछ तो किस्म के कारण है, क्योंकि पूर्निया किस्म अधिक अच्छी है, और कुछ भाड़े आदि के दरों के कारण है जो बाहर के क्षेत्रों से कलकत्ता तक ७ रुपये प्रति मन बतलाया जाता है। बिहार सरकार के अधिकारियों के कथनानुसार बिहार में उत्पादित कोई १० लाख गांठों में से ६० प्रतिशत खरीदी जा चुकी, हैं।

कच्चे पटसन की कीमतों पर पटसन की वस्तुओं की कीमतों का बहुत जल्दी असर पड़ता है। गत एक मास में कलकत्ते के फाटका बाजार में काफी सरगरमी रही है जिस से पटसन की वस्तुओं का मूल्य कोई १५ से लेकर १७१।२ प्रतिशत तक गिर गया है। तदनुसार कच्चे पटसन की कीमत भी २८ रुपये से घट कर २२ रुपये ८ आने हो गई है।

सरकार को इस स्थिति से बडी चिन्ता है। गत मास के अन्त में मैंने इस सम्बन्ध में भारतीय पटसन मिल संघ के प्रधान श्री मौनकर से, जब वह दिल्ली आये थे, बातचीत की थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सचिव ६ दिसम्बर को कलकत्ता में थे और उन्होंने पटसन मिल संघ तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ बातचीत की थी। तदुपरान्त मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव को पटना भेजा गया जहां से वह मामले की छान-बीन करने के लिये कलकत्ता गये, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने इस मामले की जांच-पड़ताल करने के लिये एक उपसचिव कलकत्ते भेजा था। हाल ही में जब मैं कलकत्ते में था तो मैंने भी इस विषय में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ चर्चा की थी। इन बातचीतों के परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया है कि प्रथम कार्यवाही के रुप में फाटका बाजार तुरन्त बंद कर दिया जाये। कल पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं।

सरकार भारतीय पटसन मिल संघ से यह कह रही है कि वह अपना एक प्रतिनिधि भेजे जो दूर-दूर के क्षेत्रों में, विशेष रूप से बिहार में, पटसन की उपलब्धता की पड़ताल करें, ताकि मिलों तथा उत्पादकों में प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित हो सके।

रेल प्रशासन कच्चे पटसन के दूर-दूर क्षेत्रों से ले जाये जाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। इस बात पर भी विचार किया जायेगा कि क्या सापेक्षतया दूर वाले क्षेत्रों में उत्पादकों को सहायता देने के लिये भाड़े का पुनः समायोजन किया जाना है।

सरकार ने भारतीय पटसन मिल संघ को यह सुझाव दिया है कि उन्हें, इस बात के बावजूद भी कि उनके बारे में यह समझा जाता है कि वे नौ सप्ताह का स्टौक अपने पास रखते हैं, भारतीय पटसन की खरीद बढ़ानी चाहिये। आशा की जाती है कि इस सुझाव का पालन किया जायेगा।

सरकार को इस दीर्घकालीन प्रश्न पर भी विचार करना होगा कि पटसन क्षेत्रों की पड़ताल की जाये ताकि यह पता लग सके कि क्या दूर के क्षेत्रों में पटसन के उत्पादन को तथा मेस्टा और बिमली जैसे घटिया किस्म के पटसन के उत्पादन को प्रोत्साहन न दिया जाय। अब सरकार के विभिन्न मंत्रालय इस प्रश्न की जांच करने का विचार कर रहे हैं।

उपरोक्त कार्यवाहियों के फलस्वरूप पटसन की मूल्य सम्बन्धी स्थिति में काफी सुधार होने की सम्भावना है; फिर भी सरकार स्थिति पर पूरा पूरा ध्यान रख रही है तथा यदि कोई और कार्यवाही आवश्यक हुई तो उसे करने में भी सरकार नहीं हिचकिचायेगी।

श्री बी० के० दास : क्या सरकार का पाकिस्तान से पटसन के आयात को नियन्त्रित करने का कोई विचार है? क्या वह आयात को नियन्त्रित कर रही है या रोक रही है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पहले ही बतला चुका हूं कि इस वर्ष पाकिस्तान से जितना पटसन भारत आया वह गतवर्ष के आयात की मात्रा का लगभग आधा है। वास्तव में स्थिति यह है कि यदि हम पाकिस्तान से कुछ बढ़िया किस्म का पटसन न मंगवायें तो बढ़िया किस्म के टाट के विषय में यूरोपीय देशों की मिलों को, जो पाकिस्तान से पटसन मंगवाती हैं, भारत की अपेक्षा अधिक फ़ायदा रहेगा। भारत सरकार इसीलिये पाकिस्तान से पटसन के आयात की अनुमति दे रही है। हां, यदि यह मालूम होगा कि पाकिस्तान से पटसन के आयात से, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, भारतीय पटसन की निकासी पर बुरा असर पड़ता है, तो निश्चय ही सरकार इस बात पर विचार करेगी कि उस प्रयोजनार्थ क्या कार्यवाहियां की जानी आवश्यक हैं।

श्री बी० के० दास : क्या यह सच है कि गत तीन मासों में कच्चे पटसन की कीमतें ३० से लेकर ४० प्रतिशत तक गिर गई हैं, जबकि टाट की कीमतें ४ प्रतिशत से अधिक बढ़ी हैं और बोरों की कीमतें केवल ७ प्रतिशत ही कम हुई हैं? क्या ये आंकड़े फैलाये गये हैं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे शक है कि मेरे पास जो आंकड़े हैं उन से माननीय सदस्य का कथन पुष्ट नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जो उतार चढ़ाव हुआ है वह पटसन और टाट की कीमतों के अनुपात के अनुरूप है। वास्तव में यह सच है कि बोरों की कीमत कच्चे पटसन के मुकाबले बहुत अधिक गिर गई है क्योंकि बोरों की निकासी बहुत कम हुई है और पिछले दो महीनों में मिलों में बोरों का स्टाक बहुत बढ़ गया है।

श्री बी० के० दास : अब जब कि पटसन मिलों को विदेश में प्रचार करने के लिये पर्याप्त मात्रा में धन दे दिया गया है क्या सरकार के लिये देश में कच्चे पटसन का मूल्य निर्धारित करना सम्भव हो सकेगा?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है और अब भी किया जा रहा है। यदि आज कच्चे पटसन का मल्य निर्धारित किया जाये तो उस की बनी हुई वस्तुओं के मूल्य से कुछ न कुछ सम्बन्ध तो होगा ही। हमें डर है कि कच्चे पटसन का उचित मूल्य निर्धारित किया गया तो बाज़ार में और भी अधिक मंदी आजायेगी। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब उत्पादक पटसन बेचता है तो सरकार द्वारा निश्चित मूल्य निम्नतम न होकर अधिकतम होता है, और जब तक सरकार ही पटसन नहीं खरीदती तब तक इस समय मूल्यों का निर्धारण करना स्वयं पटसन उत्पादकों के हित में ही नहीं होगा।

श्री बर्मन : समय समय पर समाचार पत्रों में ये समाचार प्रकाशित होते रहे हैं कि खुलना तथा २४ परगनों के सीमांत में पाकिस्तान से चोरी छिपे बहुत अधिक मात्रा में पटसन लाया जा रहा है अथवा उसका अनधिकृत रूप से आयात किया जा रहा है। उसको दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार ने इस बात को रोकने के लिये कि अवैध रूप से चोरी छिपे पटसन न लाया जा सके, कोई कार्यवाही की है, जिसके कारण यहां दाम गिर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस सम्बन्ध में सरकार के पास जो सूचना है वह माननीय सदस्य के वक्तव्य से भिन्न है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री ने बतलाया कि फाटका बाज़ार बन्द कर दिया जायगा। उसको दृष्टि में रखते हुए इस बात का कहां तक अनुमान लगाया जाता है कि दाम बढ़ जायेंगे? अब पटसन का दाम क्या हो जायगा; और सस्ते दाम की तुलना में यह कैसा होगा? मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रही हूं क्योंकि हम जानते हैं कि काश्तकारों को जो दाम दिये जा रहे हैं वे उससे बहुत कम हैं जितना कि उन्हें खर्चा करना पड़ता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के द्वितीय भाग का सम्बन्ध सस्ते दाम से है, और सस्ते दाम का मामला इन दामों तथा अन्य वस्तुओं के दामों में तुलना का विषय है। इस समय, यदि चावल के दामों को आधार मान लिया जाय, तो भारत में पैदा की जाने वाली विशिष्ट किस्म की पटसन के, जो कि "बोटम्स" कहलाती है, सस्ते दाम कलकत्ता में लगभग २३-२४ रुपये होंगे। किन्तु यह एक ऐसा मामला है जिस पर मैं अधिकृत रूप से कुछ नहीं कह सकता। जहां तक फाटका बाज़ार बन्द कर दिये जाने के कारण इस स्थिति में सुधार के मामले में मेरे विचारों का सम्बन्ध है, हमें आशा है कि इन दशाओं में काफी अधिक सुधार होगा। यदि तय्यार माल के भाव उसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं जो कि इस सरगर्मी वाली कार्यवाही से पहिले थे, अर्थात टाट के मामले में १९४८-४९ में जो स्थिति थी, तो स्वाभाविक रूप से कच्चे पटसन के दाम २७ रुपये तक बढ़ जायेंगे, और मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति में वे सस्ते दाम होंगे।

श्री एल० एन० मिश्र : माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह मालूम पड़ता है कि बिहार के पटसन के काश्तकारों को यातायात व्यय बहुत अधिक देने पड़ते हैं। इसलिये मैं जान सकता हूं कि

क्या बिहार के काश्तकारों की इस यातायात समस्या को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने अपने वक्तव्य में यह पहिले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम इस बात को मानते हैं कि बिहार में दूर के क्षेत्रों के काश्तकारों को कलकत्ता तक माल ले जाने में लगभग ७ रुपये प्रति मन देना पड़ता है। यह एक प्राकृतिक समस्या है। हमें दो बातों पर विचार करना पड़ता है : या तो दूर के क्षेत्रों में पटसन बोने को निरुत्साहित किया जाय अथवा यह मालूम किया जाय कि हम कोई अन्य सुविधायें दे सकते हैं। इस समस्या पर विचार किया जा रहा है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार का विचार बिहार में पटसन की मिलें खोलने का है, जैसा कि बिहार सरकार ने सुझाव दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम बहुत संकीर्ण समस्या पर बातचीत कर रहे हैं। इस समय, हम उन काश्तकारों की सहायता करने का प्रयत्न कर रहें हैं जिन्होंने पटसन उगाया है। भारत के विभिन्न भागों में मिलों की स्थापना करने का दीर्घ कालीन कार्यक्रम सर्वथा एक भिन्न मामला है। मुझे खेद है कि इस समय मैं इस विशेष विषय पर कुछ नहीं कह सकता।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कच्चे पटसन के निम्नतम मूल्यों को निर्धारित करने का विचार कर रही है जिस से कि पटसन उत्पादकों को सस्ते दामों का थोड़ा भाग मिल सकेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने इस प्रश्न का उत्तर पहिले ही दे दिया है। मैं ने बता दिया है कि हम समझते हैं कि इस समय मूल्य निर्धारण करने से उन लोगों को लाभ नहीं होगा जिनके लिये हम मूल्य निश्चित करना चाहते हैं।

डा० लंका सुन्दरम् : माननीय मंत्री ने मेस्ता तथा बिमली पटसन का निर्देश किया। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि पटसन की इस विशेष किस्म के मूल्य के बहुत अधिक गिर जाने के कारण हजारों परिवार विशेष कर विशाखापटनम तथा श्री काकुलम के ज़िले के व्यक्ति बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार का विचार इस विशेष किस्म के दामों को स्थिर करने के मामले में कोई कार्यवाही करने का है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो हजारों परिवार मुसीबत का सामना कर रहे हैं उनके विषय में तो मुझे माननीय सदस्य से ही सूचना मिल रही है, किन्तु मैं सदन को यह बता दूं कि लोग मेस्ता या बिमली को पटसन नहीं मानते। यह तो केवल मिलावट की चीज़ के रूप में ही काम में आती है और वास्तव में मेस्ता और बिमली की इस समस्या के कारण ही हमें पाकिस्तान से बढ़िया किस्म के पटसन के आयात किये जाने की अनुमति देनी पड़ती है जिससे कि इन किस्मों को बढ़िया किस्म के पटसन के साथ मिलाया जा सके। अतः जिन बातों पर हम विचार कर रहे हैं उन में से एक यह है कि क्या हमें पटसन में मिलावट में प्रयुक्त किये जाने वाली मेस्ता तथा बिमली की किस्मों के उत्पादन को निरुत्साहित नहीं करना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान से पटसन का आयात दामों के गिरने का कारण नहीं है, क्योंकि कुल आयात के केवल आधे भाग के लिए अनुमति दी गई ह। मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में उत्पादन लक्ष्य बढ़ गया है और यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने लक्ष्य के सम्बन्ध में अग्रेतर विचार किया है, जिसे उसने पहिले ही तय कर दिया था और क्या सरकार कच्चे पटसन के निम्नतम मूल्य के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसमें बहुत सी बातें हैं। मैं नहीं जानता कि मैं अपने माननीय मित्र की सभी बातों का संतोषजनक रूप से उत्तर दे सकूंगा। ऐसी आशा की जाती है कि चालू उत्पादन सत्र का उत्पादन, जिसमें मेस्ता और विमली भी सम्मिलित हैं, लगभग ४४ लाख गांठें होगा और गतवर्ष की खपत के आधार पर अर्थात् ३० जून १९५२ तक समाप्त होने वाले बारह महीनों में मिलों में ६१ लाख गांठों की खपत हुई। अतः इससे यह पता लगता है कि मिलों के पास जो ९ लाख गाठों का जो बकाया माल है उसे यदि छोड़ भी दें तो भी वहां कमी है और इस कमी को पूरा करना पड़ेगा अथवा मिलों को अपने काम के घंटों में कमी कर देनी चाहिये। इस से माननीय सदस्य अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। हम ने अकेले इसी प्रश्न पर सोलह मिनट लगा दिये हैं।

पाकिस्तानी सेना द्वारा मानिकगंज पर आक्रमण

२. **श्री बर्मन :** (क) **प्रधान मत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पाकिस्तानी सेना ने ७ दिसम्बर, १९५२ को पश्चिमी बंगाल के जलपाई-गुडी जिले के एक सीमान्त गांव, मानिक-गंज पर आक्रमण किया ?

(ख) क्या सेना ने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था, और यदि ऐसा है, तो कितने भारतीय नागरिक हताहत हुए तथा उनकी सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ?

(ग) इस प्रकार के आक्रमण के प्रत्यक्ष कारण क्या हैं ?

(घ) पाकिस्तान में भारतीय समावृत्त बस्तियों में उस घटना स्थल के आस पास रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों की क्या दशा है ?

(ङ) अब तक पाकिस्तानी सेनाओं ने जलवाईगुड़ी सीमा का कितनी बार उल्लंघन किया है, और इन सीमा उल्लंघनों के कारण कितनी हानि हुई है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख)। ७ दिसम्बर १९५२ को कोई २५ पाकिस्तानी नागरिक भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आये तथा उन्हों ने बुरीडुजोत, थाना कोतवाली जिला जलपाई-गुडी में जबरदस्ती धान की फस्ल काट ली। पश्चिमी बंगाल के गश्ती दस्ते के आने पर वे लोग पाकिस्तानी क्षेत्र में भाग गये। उसके साथ पाकिस्तानी क्षेत्रों से २५ गोलियां चलाई गई। पश्चिमी बंगाल के गश्ती दस्ते ने गोली का जवाब नहीं दिया। हमारी ओर जान माल की कोई हानि नहीं हुई।

(ग) से (ङ) तक। सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायगी।

श्री बर्मन : पाकिस्तानी सेना हमारे क्षेत्र में घुस आने के कितनी देर बाद हमारी सेना मौके पर पहुंची ?

श्री अनिल के० चन्दा: जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमें इस बात की कोई विस्तृत सूचना नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि क्योंकि हमारा दस्ता पास ही था इस लिये वह घटना स्थल पर जल्दी पहुंच गया होगा।

श्री बर्मन: सीमा के दोनों ओर निकटतम सैनिक या पुलिस चौकियां कौन कौन सी हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा: यह सूचना मेरे पास इस समय तो नहीं है, परन्तु जैसा कि मैंने पहिले बतलाया पश्चिमी बंगाल सरकार से ज्योंही यह विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी, सदन पटल पर रख दी जायगी।

श्री बर्मन: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी २० तारीख को भारत पाकिस्तान सम्मेलन हो रहा है, क्या मैं माननीय मंत्री से समावृत्त बस्तियों में कुछ पुलिस चौकियां स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करने की प्रार्थना कर सकता हूं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): जैसा कि मैंने उस दिन बतलाया कि भारत तथा पाकिस्तान दोनों देशों में इन समावृत्त बस्तियों की स्थिति अत्यधिक जटिल है। वे पूरी तरह से एक दूसरे के राज्य क्षेत्रों से घिरी हुई हैं। वहां पुलिस रखने के लिये रसद आदि भेजना बहुत कठिन है। मेरा विचार है कि हमारा पुलिस दल वहां प्रायः जाता रहता है। परन्तु वह भी जाते तथा आते हुए ऐसे स्थानों से जाता है जोकि विदेशी क्षेत्रों से घिरे हैं। अतएव इस कठिनाई को दूर करने का एक मात्र उपाय यह है कि इन समावृत्त बस्तियों को समाप्त कर दिया जाय। कुछ भी हो, माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट-सम्मेलन में पारपत्र सम्बन्धी स्थिति पर विचार किया जायगा। सामान्य रूप से ये अन्य मामले पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल के अधिकारियों द्वारा निबटाये जाते हैं।

मुख्य श्रम आयुक्त, दिल्ली का कार्यालय

३. **श्री एन० पी० सिन्हा:** (क) श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्याधिकरण, धनबाद के निर्णय के विरुद्ध इंडस्ट्रियल कोलरी, धनवाद द्वारा की गई अपील के सम्बन्ध में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में उल्लिखित 'मुख्य श्रम आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में प्रत्यक्षतः विद्यमान नितान्त उदासीनता और अदक्षता एवं ढिलाई" की ओर लिया गया है ?

(ख) यदि दिलाया गया है, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई ब्यान देने का है ?

(ग) क्या सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है और यदि है तो क्या ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट निर्णय की प्रेस रिपोट सरकार ने देंखी है।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रादेशिक श्रम आयुक्त, धनबाद ने २२ अक्तूबर, १९४९ को समझौते की कार्यवाही की थी और उस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट दाखिल की थी जो मुख्य श्रम आयुक्त के पास २५ अक्तूबर १९४९ को पहुंची थी। फिर भी यह रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास १८ नवम्बर, १९४९ तक नहीं भेजी गई। इसी दरम्यान में ७ नवम्बर, १९४९ को मजदूरों ने यह समझते हुए हड़ताल कर दी कि सरकार को समझौता अधिकारी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट प्राप्त हुए सात दिन बीत चुके हैं। औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि क्योंकि वास्तव में सरकार को १८ नवम्बर, १९४९ तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं ई थी, अतएव हड़ताल गैर कानूनी थी।

मजदूरों में फैली इस गलतफहमी कि धारा २२ (१) (घ) में उल्लिखित प्रतिषेधात्मक अवधि के समाप्त हो जाने पर उनका हड़ताल करना कानूनी तौर पर ठीक है, दो कारण थे, अर्थात

(१) प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट सीधे सरकार को न भेज कर मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा भेंजी है; तथा

(२) इस बात को सम्बद्ध दलों तक पहुंचाने के लिए न तो कोई अनुविहित और न ही प्रशासनीय व्यवस्था थी कि उचित सरकार के पास समझौता रिपोर्ट कब पहुंची जैसे ही सरकार को इस मामले का पता लगा, गलतियां ठीक कर दी गई। आवश्यक हिदायतें उन्होंने अपने पत्र संख्या एल०आर० १(क) दिनांक २२ दिसम्बर १९४९ द्वारा भेज दीं जिसकी एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती हैं। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या** १४]

उन हिदायतों के अनुसार समझौता अधिकारी की जांच समाप्त करने के दो दिनों के अन्दर ही अपनी रिपोर्ट उचित सरकार को भेजनी पड़ती है तथा साथ ही सम्बद्ध दलों को भी प्रतियां भेजनी पड़ती हैं और उचित सरकार को सम्बद्ध दलों को इस बात की सूचना देनी पड़ती है कि उसने समझौता अधिकारी की रिपोर्ट किस तारीख को प्राप्त की। उन हिदायतों के जारी किये जाने के पश्चात् से किसी प्रकार की शिकायत सुनाई नहीं पड़ी। फिर भी, क्योंकि अधिनियम में एक कमी है कि सम्बद्ध दल इस बात का पता नहीं लगा सकता है कि समझौता कार्यवाही किस तारीख को समाप्त हुई, इसलिए अब जब अगली बार अधिनियम में संशोधन किया जायेगा तो इस बात को ध्यान में रखा जायेगा।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य श्रम आयुक्त ने यह कभी आशा नहीं की थी कि इस प्रकार की जरूरी और अनुविहित रिपोर्ट उनके द्वारा भेजी जायेगी और इसीलिये उन्होंने इसके निबटाने के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया था। साथ ही इस बात का भी उल्लेख कर दिया जाये कि मुख्य श्रम आयुक्त केवल २५ अक्तूबर, १९४९ को छुट्टी पर से लौटे थे, अर्थात् प्रादेशिक श्रम आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख, तथा उन्हें जमा हुए काफी काम को भी निबटाना था। इसलिए सरकार मुख्य श्रम आयुक्त का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने के अलावा और कोई विशेष कार्यवाही नहीं करना चाहती कि काम जल्दी निबटाया जाया करे।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या सात सौ या इससे भी अधिक कर्मचारियों को गैरकानूनी हड़ताल करने के परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो कि टैकनिकल रूप से गैरकानूनी घोषित हुई है तथा वह भी बहुत ही दुःखद परिस्थितियों में ?

श्री आबिद अली : यह तो सत्य ही है कि उन्होंने हड़ताल की और उसे गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है।

श्री एन० पी० सिन्हा : औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा २६ में व्यवस्था की गई है कि गैरकानूनी हड़ताल या तालाबन्दी करने वालों को एक महीने की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। क्या उन पर इसलिये मुकदमा चलाया जाने वाला है क्योंकि हड़ताल टैकनिकल रूप से गैरकानूनी घोषित की जा चुकी है।

श्री आबिद अली : जी नहीं, इस प्रकार की कोई सम्भावना नहीं है ।

श्री ए० एन० विद्यालकार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने निर्णय म यह कहा है कि कर्मचारियों का कोई अपराध न होते हुए भी यह विपत्ति उन पर आ पड़ी है, मजदूरों को गैर-कानूनी हड़ताल के परिणामों से बचाने के लिए सरकार क्या विशेष कार्यवाही कर रही है ।

श्री आबिद अली : हड़ताल करने के लिए मजदूरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है न करने का विचार है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : जिस गलती के कारण मजदूरों की हड़ताल को "गैर कानूनी" ठहराया गया है उसको दूर करने के सम्बन्ध में सरकार क्या करने का विचार रखती है ?

श्री आबिद अली : मैं पहले ही बतला चुका हूं कि प्रशासनीय हिदायतें जारी की जा चुकी हैं । अब किसी प्रकार की शिकायत सुनने में नहीं आई है और यदि आई तो हम उचित कार्यवाही करेंगे ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : माननीय मंत्री ने बतलाया कि मुख्य श्रम आयुक्त उसी दिन छुट्टी से लौटे थे तथा बहुत सारा काम जमा पड़ा था और इसीलिए वह इस पर ध्यान न दे सके । क्या यह गम्भीर मामला नहीं है तथा क्या इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदार नहीं होना चाहिये था ? क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि क्या कोई अन्य अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार था और यदि हां, तो सरकार भविष्य में, ऐसे महत्वपूर्ण काम को निबटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है जिससे गम्भीर परिणामों से बचा जा सके ?

श्री आबिद अली : मैं कार्यवाही के लिए आप की बात ध्यान में रखूंगा ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार मालिकों से मजदूरों को हड़ताल-अवधि की मजदूरी देने के लिए कह रही है ?

श्री आबिद अली : जी नहीं ।

मद्रास में कलकत्ता मेल का देर से पहुंचना

श्री नटेशन : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कलकत्ता मेल जिसे मद्रास में १३ दिसम्बर, १९५२ की पहुंचना चाहिये था, ६ १/२ घन्टे देर से पहुंचा तथा राजामुन्द्री और मद्रास के बीच कुछ स्टेशनों पर रोक लिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो किन किन स्टेशनों पर तथा किन किन व्यक्तियों द्वारा रोका गया था ?

(ग) क्या मेल को कोई नुकसान पहुंचा था, यदि हां, तो कितने रुपये का ?

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कलकत्ता मेल जिसे १३ तारीख को मद्रास में ६,५० पर पहुंचना चाहिये था १३-३० पर पहुंचा अर्थात् ६ घन्टे ४० मिनट देर से ।

(ख) रेलगाड़ी वालटेयर से ठीक समय पर छूटी थी तथा चाल में कमी के कारण राजामुन्द्री पर चार मिनट देर से पहुंची थी ।

निदादावोलू पर ५७ मिनट तक खड़ी रही क्योंकि वहां उसने उन गाड़ियों को निकल जाने दिया जो पहले ही बहुत देर करके चल रही थीं ।

निदादावोलू और ताडीपलीगुडेम के बीच १९४ मिनट की देर हुई क्योंकि बीच के तीनों स्टेशनों पर तथा स्टेशनों के बीच खतरे की ज़ंजीर खींची गई, वैकुअम होज कपलिंग में से वाशर निकाले गये, बिजली के कपलिंगों को निकाल दिया गया तथा डब्बों की खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले गये ।

ताडीपल्लीगुडेम और बेजवाडा के बीच २९ मिनट की देर हुई क्योंकि खतरे की जंजीर खींची गई, ७ मिनट इंजीनियरिंग सम्बन्धी पाबन्दियों तथा गाड़ियों के क्रासिंग में लग गये ।

कलकत्ता मेल के इंजन में खराबी आ जाने के कारण, जिसे कि गाड़ी ले जानी थी, बेजवाडा में दूसरे इंजन के लिये इन्तज़ार करने में १०३ मिनट की देर हुई ।

बेज़वाडा तथा बितरागुन्टे के बीच १३ मिनट की देर हुई क्योंकि स्टेशनों पर बड़ी सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ी ।

बितरागुन्टा और मद्रास के बीच ३ मिनट की देरी पूरी कर ली ।

कुल ४०३ मिनट की देर हुई जिसमें से ३ मिनट की देरी पूरी कर ली ।

४०० मिनट देर से पहुंची अर्थात् ६ घन्टे, ४० मिनट ।

(ग) जी हाँ, खिड़कियों के शीशे तोड़ने से नुकसान कितने का हुआ यह तो अभी ठीक ठीक पता नहीं किन्तु आशा की जाती है कि वह अधिक न होगा ।

(घ) इंजन फेल हो जाने के अलावा गाड़ियों के देर से आने का कारण अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों द्वारा बाधा डाला जाना है । इन घटनाओं को रोकने का भार मुख्यतः शान्ति और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार पर है जिसको स्थिति का भलीभांति ज्ञान है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में माननीय रेल मंत्री एक वक्तव्य देना चाहेंगे ।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : श्रीमान्, गड़बड़ी, ८ तारीख से ही शुरू हो गई थी जब अनेक रेलवे स्टेशनों पर, जैसे गुन्टूर, नरासापुर, ताडेपल्ली, मुड्डानुरू, पालाकोल पर प्रदर्शन किये गये थे। लोग लाइनों पर खड़े हो कर तथा खतरे की जंजीर खींच कर गाड़ी रोक लेते थे ।

१३ और १४ तारीख को, स्थिति विशेषतः बेजवाड़ा-राजमुन्द्री सेक्शन पर, बहुत ही खराब हो गई । १५ तारीख को लगभग ६॥ बजे शाम के पश्चात बेजवाड़ा स्टेशन पर एक भारी भीड़ ने हमला कर दिया तथा दिल्ली आने वाली ग्रान्ड ट्रंक एक्सप्रेस को चलने नहीं दिया तथा बाद में वह स्टेशन के दफ्तर तथा गाड़ियों में गड़बड़ी फैलाने लगी । उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को उनके काम करने के स्थानों से हटा दिया तथा लगभग २४ घंटों तक न कोई काम करने दिया न कोई गाड़ी ही आने जाने दी ।

१६ तारीख की गड़बड़ सबसे अधिक हुई । सवेरे के लगभग ९-३० बजे भीड़ कन्ट्रोल आफिस तथा एसिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सुपरिन्टेंडेन्ट, मूवमेन्ट के कार्यालय में घुस गई और उसने कर्मचारियों को काम करने से रोका । उसने मालगोदामों और पार्सल दफ्तरों को भी लूटा । धारा १४४ लागू कर दी गई है और स्थिति पर काबू पा लिया गया बताया जाता है । जिस ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का जिक्र पहले किया गया है, वह १७ तारीख को शाम के लगभग ७-३० बजे चली ।

अनाकापल्ले में, बैगन लूटे गये, केबिनों में आग लगा दी गई और रेल की पटरियों को भी गड़बड़ किया गया।

नीलोर में एक सवारी गाड़ी के डिब्बे में आग लगाई गई। पेनार के पुल पर से पटरियां निकाल ली गई। रेलवे ने इन पटरियों को फिर से बिछा दिया है।

भीमवरम् में, लेवल क्रासिंग के फाटकों को तोड़ डाला गया; टेलीग्राफ, सिगनल और बिजली के तार काट डाले गये; खिड़कियों और नाम वाले बोर्डों को तोड़ डाला गया; पम्पिंग इंजन को भी थोड़ा नुकसान हुआ; पानी की टंकी को खाली कर दिया गया तथा सवारी गाड़ी के डिब्बों को नुकसान पहुंचाया गया।

गुन्टूर में मालगोदाम तथा पार्सल कार्यालय को लूटा गया तथा रेलवे सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

गौदावरी में, भीड़ ने स्टेशन की इमारत में आग लगाने का प्रयत्न किया।

ओंगोल में, सिगनलों को तोड़ डाला गया और पटरियों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। लगभग पौन मील तक पटरियों की चाबियां निकाल ली गईं।

वाल्टेयर में, पटरियों और रेलवे के सामान तथा लोको शेड की चीज़ों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया गया।

अन्य कई स्टेशनों पर तथा उत्तर-पूर्व मुख्य रेलवे से मिलने वाली ब्रान्च लाइनों पर भी स्टेशन की इमारतों तथा सामान से भरे वैगनों को आग लगाई गई और उन्हें लूट लिया गया, सिगनल तथा पटरी जैसी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया तथा इंजन व डब्बों और टेलीग्राफ तारों के साथ गड़बड़ की गई।

उत्तर-पूर्वी लाइन पर बेज़वाड़ा और वाल्टेयर के बीच, तथा ब्रांच लाइनों पर भी गाड़ियों के आने जाने में बहुत गड़-बड़ हुई।

वाल्टेयर-कटक सेक्शन पर भी गाड़ियों के आने जाने में बहुत गड़बड़ हुई।

कर्मचारियों के चोट आने के बारे में अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। चूंकि स्थानीय अधिकारी तथा कर्मचारीगण इस समय स्थिति पर काबू पाने में लगे हुए हैं इसलिये यह अनुमान लगाना संभव नहीं हो सका है कि रेलवे के सामान तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को कितना नुक़सान हुआ। मोटे तौर पर यह नुक़सान ५० लाख रुपये तक हो सकता है। इस समय रेलवे प्रशासन, स्थानीय सरकार तथा स्थानीय और रेलवे पुलिस में निकटतम सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

स्थिति पर काबू पा लिया गया बताया जाता है और यह अब सामान्य होती जा रही है। आशा है कि इस महीने की १९ तारीख से कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे मद्रास-कलकत्ता एक्सप्रेस, ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस तथा मद्रास-पुरी पेसेन्जर अपने सामान्य मार्गों पर फिर से चलने लगेंगी। इन गाड़ियों के साथ सशस्त्र पुलिस भी चलेगी।

श्री नटेशन: क्या रायलासीमा क्षेत्र से आने वाली गाड़ियों को भी इसी प्रकार रोक लिया गया था?

श्री एल० बी० शास्त्री: मुझे इसका पता नहीं।

श्री बी० एस० मूर्ति: तंजोर वाली भी?

श्री नम्बियार: वह तो तूफ़ान आने के कारण है।

डा० रामा राव: क्या आंध्र में जो रोष प्रकट किया जा रहा है वह इसलिये है कि भारत सरकार आंध्र राज्य के निर्माण के बारे में कोई निश्चित कार्यवाही करने में असफल रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): यह तो सामने बैठे माननीय सदस्यों को हम से ज्यादा अच्छी तरह मालूम होगा ।

३-१५ म० प०

आंध्र राज्य का निर्माण

५. **श्री रघुरामय्या:** प्रधान मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि आंध्र में स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है और वहां की जनता को इस बात का विश्वास दिलाना बहुत आवश्यक है कि उसके वांछित उद्देश्य की पूर्ती होने जा रही है, सरकार एक पृथक आंध्र राज्य के शीघ्र निर्माण के बारे में क्या कदम उठाना सोच रही है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): श्रीमान्, ९ दिसम्बर, १९५२ को राज्य परिषद् में मैंने जो वक्तव्य दिया था उसी सिलसिले में भारत सरकार ने एक आंध्र राज्य स्थापित करने का निश्चय किया है । जिसमें वर्त्तमान मद्रास राज्य के तेलगू क्षेत्र शामिल होंगे परन्तु मद्रास शहर शामिल न होगा और संविधान के अनुच्छेद ३ के अनुसार वह इस दिशा में शीघ्र कदम उठाना सोच रही है । सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मि० जस्टिस के० एन० वांचू को इन निश्चय के वित्तीय तथा अन्य मामलों पर विचार करने और रिपोर्ट पेश करने तथा उसको क्रियान्वित करने में विचारणीय प्रश्नों की छानबीन करने के लिये नियुक्त कर रही है । मि० जस्टिस वांचू जनवरी १९५३ के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे । इस रिपोर्ट के मिलने पर सरकार अन्य आवश्यक कदम उठायेगी । नये राज्य के स्थापित करने में वह कोई विलम्ब करना नहीं चाहती । वह आशा करती है कि यह राज्य समस्त संबंधित व्यक्तियों के सहयोग से स्थापित हो सकेगा ।

श्री नम्बियार: प्रधान मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या एक्य केरल बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

अंक ६
संख्या १४

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
१९ दिसम्बर, १९५२

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अनुपस्थित रहने की अनुमति [पृष्ठ भाग २१७१]

पटल पर रखे गए पत्र—

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग तथा बहुप्रयोजनीय नदी घाटी योजनाओं पर आगणन समिति की पांचवी रिपोर्ट में दी गई सिपारिशों पर सरकार के विनिश्चय को दर्शाने वाला विवरण। [पृष्ठ भाग २१७१—२१७२]

आंकड़ा संग्रह विधेयक—पुर:स्थापित [पृष्ठ भाग २१७२]

(मूल्य ६ आने)

काफी बाजार विस्तार (संशोधन) विधेयक —
पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग २१७२]
केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन)
विधेयक–पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग २१७३]
रबड़ (उत्पादन और विपणन)
संशोधन विधेयक– पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग २१७३]
पंचवर्षीय योजना संबंधी संकल्प–
स्वीकृत [पृष्ठ भाग २२१२]
परिसीमन आयोग विधेयक-संशोधित
रूप में पारित [पृष्ठ भाग २२१३—२२४७]
महाराष्ट्र में दुर्भिक्ष स्थिति [पृष्ठ भाग २२४७—२२६०]

लोक सभा

शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १६५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई [**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११–२३ म० पू०

अनुपस्थित रहने की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चण्डिकेश्वर शरण सिंह जूदेव अस्वस्थ हैं। उन्होंने सदन के इस सत्र की सारी बैठकों म अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है।

डा० शौक़तउल्ला शाह अन्सारी डेढ़ मास से बीमार हैं। अतः वे इस साल में सदन न आ सकेंगे।

क्या इन माननीय सदस्यों को अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये ?

अनुमति दी गई।

पटल पर रखे गए पत्र

अगणन समिति की सिफारिशों पर किया गया विनिश्चय

योजना तथा सिंचाई व विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं सदन के पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें बतलाया गया है

कि केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तथा नदी घाटी योजनाओं पर आगणन समिति ने अपनी जो सिफारिशें की हैं उन पर सरकार ने क्या तय किया है। १० नवम्बर १६५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५० के उत्तर में इसका वचन दिया गया था। [**पुस्तकालय में रखा है। देखिये संख्या पी० १०१/५२**]

आंकड़ा संग्रह विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : उद्योग, व्यापार और वाणिज्य संबंधी आंकड़ों के संग्रहण की सुविधा के लिये मैं एक विधेयक पुरः-स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय ने इस अनुमति के लिय प्रस्ताव रखा। वह स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

काफी बाज़ार विस्तार (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : काफ़ी बाजार विस्तार अधिनियम १६४२ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये एक विधेयक पुरः-स्थापित करने की मैं अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय ने इस अनुमति के लिये प्रस्ताव रखा जो स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम १९४८ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की मैं अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय ने इस अनुमति के लिये प्रस्ताव रखा जो स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं :

रबड़ (उत्पादन और विपणन) संशोधन विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : रबड़-उत्पादन और विपणन अधिनियम १९४७, का अग्रेतर संशोधन करने के लिये मैं एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय ने इस अनुमति के लिये प्रस्ताव रखा जो स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

पंचवर्षीय योजना संबन्धी संकल्प समाप्त

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन प्रस्ताव पर अब आगे चर्चा की जायगी । मैं माननीय मंत्री से १२ बजे बोलने के लिए कहूंगा । जिन सदस्यों ने अभी तक भाषण नहीं दिया है उन्हें पांच पांच मिनट दिये जायेंगे ।

श्रीमती मायदेव (पूना दक्षिण) मैं संकल्प का समर्थन करती हूं । यद्यपि विपक्ष के सदस्यों ने इसकी आलोचना की है फिर भी अंत में उन्होंने इस बात की प्रशंसा की है कि यह योजना बड़े परिश्रम से तैयार की गई है ।

स्वास्थ्य का बड़ा महत्व होता है । इसके लिये अधिक राशि दी जानी चाहिये थी । देशी चिकित्सा के लिए बहुत कम पैसा दिया गया है । आयुर्वेदीय, यूनानी, होमियोपैथी और प्रकृति-चिकित्सा को केवल ३५ लाख रुपये दिये गये हैं । विदेशियों ने भी चिकित्सा की देशी पद्धति को महत्व दिया है । भोर समिति के तीसरे ग्रंथों में देशी चिकित्सा की प्रशंसा की गई है । देश में देशी चिकित्सा के स्कूल खोले जा रहे हैं तथा सरकार से उन्हें सहायता मिलती है । उसमानियां विश्व-विद्यालय में यूनानी चिकित्सा का एक माह विद्यालय है । देशी चिकित्सा के विद्यालयों के स्नातकों के नाम बम्बई सरकार अपने चिकित्सक रजिस्टर में रखती है । आधुनिक काल में वैज्ञानिक चिकित्सा ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी देशी चिकित्सा समाप्त नहीं हो पाई है । यह बड़े आश्चर्य की बात है । आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा का महत्व कम नहीं है । उसकी सहायता से हम ने बहुत से संक्रामिक रोगों से मुक्ति पाई है । फिर भी हमें देशी चिकित्सा पद्धति को नहीं मिटने देना चाहिये । सरकार ने इसके लिए, योध समिति, चोपड़ा समिति और पंडित समिति नियुक्त की थी । उनकी रिपोर्टें गत चार पांच वर्ष पहिले आ चुकी हैं । परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । सरकार अपनी पुरानी नीति में परिवर्तन नहीं करना चाहती ।

योजना के अनुसार ६५ लाख रुपए परिवार आयोजन के लिए नियत किए गए हैं । ग्रंथ दो, अध्याय ३२ में रिदम प्रणाली का भी जिक्र है । वह वास्तव में कोई विधि नहीं है । इस पर रुपए व्यय करना व्यर्थ है । इससे एक प्रतिशत जन संख्या भी कम न होगी । पूना में मैंने डा० अब्राहम का व्याख्यान सुना था । उन्होंने कहा था कि वह विधि भारत के लिए ठीक नहीं है । इस विधि के अनुसार

जिस जिस रोज़ सहवास करने की मनाही की जाती है उसी उसी दिन सहवास करने की इच्छा प्रबल होती है । इन दिनों सहवास वर्जित करना तो भूखे मनुष्य को उपवास करने के लिये कहने के बराबर होगा । दूसरी विधि खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि देश में जगह जगह ऐसे औषधालय खुल जायें जहां से लोगों को संतति निग्रह करने वाली वस्तुऐं सस्ते दरों में मिल सकें, तो एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होगी ।

मैं समाज-कल्याण के विषय में भी कुछ कहना चाहती थी परन्तु समय नहीं है ।

श्री एम० सोमना (कुर्ग) : इस योजना के बनाने वालों को मैं बधाई देता हूं । इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें और हमारी सरकार को क्या करना चाहिये । हो सकता है कि योजना में कुछ त्रुटियां हों परन्तु इसके ऊपर हमें नहीं झगड़ना चाहिये । योजना में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किए ही जायंगे । अतएव हमें इस योजना को स्वीकार करना चाहिये तथा इसे सफल बनाने में सहयोग देना चाहिए ।

अन्न के उत्पादन में निश्चित बात कोई नहीं की गई है । इस विषय में लक्ष्य और अवधि निश्चित नहीं की गई है । अधिक अन्न उत्पादन करने के आंदोलन का हमें बड़ा बुरा अनुभव है । योजना की अवधि में अन्न के मामले में हम अन्न के विषय में स्वावलम्बी न हो सकेंगे इस विषय में अधिक निश्चित योजना बनाई जा सकती थी । सिंचाई की छोटी योजनाओं को पूरा करने के लिए निश्चित अवधि नियत की जा सकती है जिससे कि खाद्य समस्या हल हो सके ।

भूमि की नीति के विषय में मेरा मत यह है कि मध्यम और निम्न श्रेणी के किसानों को छोड़ना उचित नहीं है । हां जिनके पास निश्चित क्षेत्र से अधिक भूमि हो वह बांटी जा सकती है । योजना आयोग ने सिफारिश की है कि यदि भूमि का स्वामी लगातार पांच साल तक खेती न करे तो वह भूमि यथेच्छ काश्तकार की हो जायगी । ऐसा करने से खेती में बाधा पड़ेगी । प्रत्येक स्वामी पांच साल के पहिले अपनी भूमि पर कब्जा करने के लिये आएगा । अतएव जहां तक पंचवर्षीय योजना का संबंध है मध्यम और निम्न श्रेणी के स्वामियों के विषय में यह बात लागू न की जाए ।

उद्यान कर्म को इस योजना में विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हमारे भोजन का एक चौथाई अंश फल और शाक होते हैं । फल उत्पादन के विषय में योजना के अनुसार कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है । इस दिशा में काफ़ी उन्नति की जा सकती है ।

बनों को भी पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है । यद्यपि इस विषय में काफ़ी आंकड़े दिए गए हैं परन्तु कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं दिया गया है । दक्षिण भारत में इस दिशा में जो कुछ किया जा सकता है उसकी कोई जांच नहीं की गई है । इन से अत्यधिक धन का उत्पादन किया जा सकता है ।

कुर्ग राज्य में खेती, सिंचाई और बिजली के विकासके लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है । उस राज्य ने जिन योजनाओं की सिफारिश की है उनकी इस योजना में कोई चर्चा नहीं की गई । उदाहरणार्थ 'बारापोल जल विद्युत योजना बड़ी महत्वपूर्ण है । इससे कुर्ग और मद्रास को बिजली मिल सकेगी । आशा है कि योजना आयोग इस योजना पर विचार करेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : लाला अचिन्तराम, केवल तीन मिनट ।

लाला अचिन्त राम (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ़ दो एक बातें कहना चाहता

[लाला अचिन्त राम]

हूं । डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के बारे में मैं ने पढ़ा है कि एक चैप्टर में लिखा है कि गवर्नमेंट ने डिस्प्लेस्ड पर्सन्स पर डेढ़ अरब रुपया खर्च किया है, क़रीब तीस करोड़ रुपया १९५३-५४ में खर्च कर दिया जायेगा । इसके अलावा ईस्ट बंगाल से आने वालों के लिये भी बहुत खर्च किया गया है । यह सब ठीक ही कहा गया है । यह भी कहा गया है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कह सकती कि और कितने रिफ्यूजीज़ आयेंगे । उन की पोजीशन बिलकुल फ्लुइड है और हो सकता है कि किसी वक्त और भी ज़्यादा आयें । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वेस्ट पाकिस्तान से आदमी आये हैं उन के रिहैबिलिटेशन के मुताल्लिक गवर्नमेंट ने जो कुछ कहा है उस से बड़ी ग़लतफ़हमी हो जाती है । मैं समझता हूं यह बात ठीक नहीं है । मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को एक कमीशन बनाना चाहिये और वह कमीशन जो फ़ैसला देगा उससे लोगों को तसल्ली हो जायेगी ।

कम्पेनसेशन के बारे म , जहां पर सारी प्राबलेम्स को डिस्कस किया गया है, वहां पर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने कोई रुपया नहीं रक्खा है, लेकिन जनता इस बात की आशा रख ती थी कि प्लैनिंग कमीशन रिहैबिलिटेशन के लिये कुछ रुपया ज़रूर रखेगा । हालांकि मैं जानता हूं कि प्लैनिंग कमीशन की इस बारे में कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बात का ऐलान कर दे कि गवर्नमेंट अपने वायदे पर क़ायम है, वह अपने फाइनेन्शल रिसोर्सेज़ के मुताबिक ज़रूर कम्पेनसेट करेगी भले ही वह कम्पेनसेशन की रक़म ५० फ़ी सदी हो, चालीस फ़ी सदी हो या तीस फ़ी सदी हो, लेकिन जो बादा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था उस पर गवर्नमेंट डटी रहेगी ।

साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं, प्लैनिंग कमीशन की सिफारिशों के बारे में लोगों ने कहा कि जनता में जोश नहीं है, यह बात गलत है । लेकिन यह बात ज़रूर है कि इस के लिये मुनासिब तरीके इस्तेमाल किये जायें । जिस से जनता के अन्दर प्लैनर्स के लिये श्रद्धा हो । जो भी प्लैनर्स हैं, या मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं, या पार्लियामेंट के मेम्बर हैं जो यह कहते हैं कुंऐ खोदें, नहरें बनाओं, सड़के बनाओं, वह जाकर गांवों में कम से कम साल में पन्द्रह दिन खुद भी काम करें तभी लोगों में श्रद्धा पैदा हो सकती है । मैं उम्मीद करता हूं कि जो तरीका मैं बतला रहा हूं उस पर अमल किया जायेगा ।

दूसरी बात यह है . . . .

अध्यक्ष महोदय : तीन मिनिट हो गये ।

लाला अचिन्त राम : मैं अभी खत्म कर रहा हूं । तो दूसरी बात जो वह करप्शन के मुताल्लिक । इस के लिये मैं यह अर्ज करता हूं कि जहां इस प्लेन के अन्दर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश की जा रही हैं, खाने का इन्तजाम किया जा रहा है, कपड़े का इन्तजाम किया जा रहा है, लेकिन इस सब को देखकर मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि यह सब मसले एक ऐसे आदमी के हैं जो कि शेर के मूंह में जा रहा है । आप उस के खाने का इन्तजाम कर रहे हैं, कपड़े का इन्तजाम कर रहे हैं, लेकिन पहले उसे शेर के मूंह में से तो निकालिये वह शेर का मुंह करप्शन है । सब से पहले जो जनता पिस रही है वह करप्शन से है ।

पहले उसको आप निकालिये । और उसका तरीका यह है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐन्टी करप्शन ट्रिब्यूनल

बनाइये, और उस के मातहत जितने प्रदेश हैं, वहां भी ऐन्टी करप्शन ट्रिब्यूनल बनाइये। फिर उन को तीन हक दिये जायें। पहला यह कि यह ट्रिब्यूनलस खुद प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकें, दूसरे यह कि वह समरी ट्रायल्स कर सकें, और तीसरी यह कि वह कड़ी से कड़ी सजा दे सकें। मेरा ख्याल है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको करप्शन के दूर करने में जरूर कामयाबी होगी। इस के लिये आप को बहुत अच्छे और चोटी के आदमियों को लेना पड़ेगा। मेरी तजबिज तो यह है कि बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन इस क लिये बहुत मोंजू हैं। उन की अध्यक्षता में यह सेन्ट्रल ऐन्टी करप्शन ट्रिब्यूनल बनाये और इसी तरह स्टेटों में भी किया जाय तो आप की जरूर कामयाबी होगी। जैसे पंडित जी का होना हम लोगों के लिये बहुत जरुर है, जैसे गांधी जी का होना बहुत लाजमी था, देश को आजादी दिलाने के लिये, इसी तरह मैं समझता हूं कि टंडन जी की भी बड़ी अहमियत है। अगर उन की खिदमात हम इस काम में इस्तेमाल करें तो इस काम में जरूर सफलता होगी।

मैं चाहता हूं कि इन तीनों बातों पर अमल किया जाय।

श्री. नम्बियार (मयूरम) : योजना में श्रमिकों से कम वेतन पर अधिक काम करने के लिए कहा गया है। यह किसके लाभ के लिए ? नफाख़ोरों के लिए। सरकार नफाखोरों का नियंत्रण नहीं कर सकती। योजना बनाने वाले औद्योगिक शान्ति चाहते हैं। वें चाहतें हैं कि मजूरों और पूंजीपतियों में झगड़ा न हो। यदि मध्यस्थ निर्णय से झगड़े समाप्त न हों तो झगड़े को निबटाने का अधिकार सरकार को दिया गया है। यदि उसे श्रमिक न मानेंगे तो वे बंदी कर लिए जाएंगे। फिर भी इस योजना को सफल बनाने में आप श्रमिकों का सहयोग चाहते हैं ? खेती के मज़दूरों की बेकारी घटाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। वे भूखे रह कर क्या सहयोग दे सकेंगे ? आप नौकरी पेशा करने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का सहयोग भी चाहते हैं। उनकी बेकारी मिटाने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। गत वर्ष टैक्निकल काम जानने वालों में से केवल १२ प्रतिशत बेकार लोगों को ही काम दिया जा सका। जिन बेकार क्लर्कों ने नौकरी दफतरों में अपने नाम दर्ज करवाए उनमें से केवल ४ प्रतिशत लोगों को ही काम दिया जा सका। योजना में कृषि उत्पादन पर तो जोर दिया है पर शिक्षित-बेकार लोगों के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इस योजना में आप किसी भी श्रमिक वर्ग को राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। आप तो अपने वर्ग के जमीदार लोगों को ही इस योजना से लाभ पहुंचा रहे हैं।

संचरण के लिए ४०० करोड़ रुपये नियत किए गए है। परन्तु इससे १ मील नई पांतें बिछाने का भी प्रबंध न हो सकेगा क्योंकि इसमें से २०० करोड़ रुपया तो उन अंग्रेज कंपनियों को जाएगा जिनसे एंजिन खरीदे जाएंगे। हमारा विचार चितरंजन में अधिक एंजिन बनाने का है और हम सोचते हैं कि १९५६ तक वहां ३०० एंजिन तैयार हो जाएंगे परन्त् इंगलैंड की लोको मैन्युफैकचरिंग कम्पनी के साथ आपने जो समझौता किया है उसके अनुसार भारत में १२० एंजिन और ५० अतिरिक्त बायलर बनने की आशा की गई है। मुझे मालूम हुआ है कि चितरंजन में इतने एंजिन बनना असम्भव ह। हमें अंत में अंग्रेजों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। यही हमारी योजना है।

रेलें प्रतिवर्ष ३२ करोड़ रुपया ब्याज के रूप में तथा ३० करोड़ रूपया सामान्य राजस्व

[श्री नम्बियार]

के लिये देती हैं। इस योजना के अनुसार रेलों से १७० करोड़ रुपए के अंश दान की आशा की गई है। बेचारे रेल के कर्मचारियों को एक भी पैसा अधिक नहीं मिलेगा। यदि वह आवाज उठाएगा तो आप उसे जेल का रास्ता बतलाएंगे।

हम इस योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम केवल यह कह रहे हैं लाखों श्रमिकों के सहयोग के बिना इसे सफल नहीं बनाया जा सकता। यह योजना इस प्रकार बनाई गई है कि इसे श्रमिकों का सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता तथा यह सफल नहीं हो सकती इसका दोष आप हमारे सिर मढ़ेंगे और कहेंगे कि कम्यूनिस्ट, सोशलिस्ट और विरोध पक्ष के सदस्यों के असहयोग के कारण योजना असफल हो गई। आप श्रमिकों के लिए कुछ नहीं करना चाहते और अगले चुनाव में इसके लिए हमें जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं। आप राजनीतिक का यह खेल खेलना चाहते हैं। ऐसी योजना बनाईए जिसको सफल बनाने में सब कोई स्वेच्छा से सहयोग दें।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : यह योजना लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों पर आधारित है। इसका उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में देश का विकास करना है। देश के संसाधनों को संगठित कर राष्ट्रनिर्माण-कार्यों को प्रोत्साहन देने का यह पहला प्रयत्न है। खेद की बात है कि इस योजना में रायलसीमा के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया पहले वह उपजाऊ स्थान था परन्तु आज वहां दुर्भिक्ष फैला है। गत सौ वर्षों से विदेशियों ने इसकी जान बूझकर उपेक्षा की है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब को मालूम है। माननीय सदस्य के सुझाव क्या हैं?

श्री लक्ष्मय्या : इस क्षेत्र के आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने के लिए एक मण्डली नियुक्त की जानी चाहिए। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र को पैसा देना चाहिए। अभी रायलसीमा में वर्षा पर ही खेती निर्भर रहती है। वहां सिंचाई का प्रबंध होना चाहिए तथा छोटे-बड़े उद्योग स्थापित किए जाने चाहिएं। हमने योजना आयोग के सभापति श्री नेहरु से प्रार्थना की थी कि वे तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर को दुर्भिक्ष कर्म बना दें तथा उसे पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर दें। हमारी प्रार्थना निष्फल रही। बेल्लरी, अनन्तपुर और कुडापा के लाखों मनुष्यों को पीने के पानी का कष्ट है। उन लोगों को भूखों मरने से बचाने की समस्या हमारे सामने है। इन जिलों से दुर्भिक्ष हटाना है। तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर के बनाने से ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी। चम्बल योजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। बड़े अभाग्य की बात है कि इस योजना को नहीं मिलाया गया। हमारी प्रार्थना पर फिर से विचार किया जाए। सहानुभूति मात्र से लोगों के पेट नहीं भरे जा सकते। इस योजना की सफलता के लिए ईश्वर में विश्वास कीजिए। यह सफल होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब नन्द लाल शर्मा जी बोलेंगे। ये अंतिम वक्ता होंगे।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे केवल पांच मिनिट बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समय नहीं दिया जा सकता। सदन के प्रत्येक दल के लोगों को बोलने का अवसर दिया जा चुका है। श्री नन्द लाल शर्मा।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्त्तते। नाधयो व्याधयश्चैव रामे राज्ये प्रशासति ।।

१२ मध्यान्ह

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास पांच मिनिट का समय रह गया है, अतएव मैं मंगलाचरण के अर्थ के सम्बन्ध में कुछ अधिक कह नहीं सकूंगा। वर्धापन मैं जरूर हृदय से देना चाहता हूं। इस दुःखी भारत इस बुभूक्षित भारत की निवृत्ति के लिये और स्वर्ग का स्वप्न दिलाने के लिये जो इस ऊंचे आदर्श पर प्रयत्न किया गया है उस के लिये मैं योजना आयोग के कार्यकर्त्ताओं को हृदय से वर्धापन देता हूं। किन्तु मैं एक बात अवश्य निवेदन कर दूं। कुछ की दृष्टि अमरीका की ओर है, कुछ की दृष्टि रूस की ओर है। दुर्भाग्य से आप के इस धर्मासन की ओर दृष्टि किसी की नहीं है जिसके ऊपर भगवान धर्म अभी भी विराजमान है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि दो हज़ार उनहत्तर करोड़ का खर्चा कोई बहुत खर्चा नहीं है यदि कार्य करने वालों के मन में धर्म भावना दृढ़ हो जाय इस से भी बढ़ कर अमरीका और रूस और जर्मनी की योजनाओं की ओर ध्यान दे रहे हैं। महाकवि कालिदास ने ऐसी दिव्य योजना का उल्लेख किया है —

पृथूप दिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम् ।।

इस पृथ्वी के अन्दर से पृथु महाराज ने पहली योजना के अनुसार चमकते हुए रत्न और दिव्यातिदिव्य औषधियों को निकाल कर हमारे यहां दिखाया था। तब हमारे यहां तो चार फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं हुई और राम ने समुद्र पर पुल बांध दिया इस देश के भालू बन्दरों को साथ ले कर। उन्होंने एक कौड़ी भी खर्च नहीं की। लेकिन उस में एक बात थी। यह दो हजार उनहत्तर करोड़ रुपयों की ओर ध्यान नहीं देते थे। अगर उन को यह ध्यान होता कि उन को कौशल के खजानें में से रुपया निकलवाना है तो हर एक को ध्यान होता कि कुछ रुपया उस के भी हिस्से में आवेगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि आप ने जनता के सहयोग के लिये बार बार कहा है और "क्रूसेडिंग स्पिरिट" यह शब्द आप के प्रधान मंत्री महोदय ने भी कहे हैं। मैं समझता हूं कि "क्रूसेड" शब्द 'सैक्यूलर स्टेट' में आ ही नही सकता है। क्रूसेड शब्द का अर्थ ही है 'धर्म भावना से प्रेरित हो कर काम करना' मेरा यह विश्वास है कि, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान हो, भारत निवासी में ईश्वर की भावना मर नहीं गई है। अगर उन के अन्दर धर्म की भावना दृढ़ कर दी जाय की देश और जाति की सेवा करना हमारा सब से बड़ा धर्म है तो मैं समझता हूं कि लोग प्राण भी देने को तैयार हैं, रुपया तो क्या वस्तु है।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): मतलब उस का वही है।

श्री नन्द लाल शर्मा: मैं अब दो चार शब्द योजना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस योजना के अन्तर्गत भोजन और कृषि के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कह दी गई। मैं ने इस आयोग की रिपोर्ट को देखा है, किन्तु दुर्भाग्य से मुझ को ऐनीमल हसबैंडरी के चैप्टर को पढ़ने पर कहीं एक अक्षर भी उस के लिये नहीं दीखा जिस के लिये यह कहा है कि वह सब से बड़ी आवश्यक वस्तु है, जिस से एक हज़ार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की ग्रास नैशनल इनकम बतलाई गई है। यह इनकम गो धन के द्वारा बतलाई गई है, परन्तु गो हत्या बन्द करने के लिये कोई शब्द नहीं कहा गया। सारे भारतवर्ष में १६० गोसदन हैं, ३५–३६ करोड़ व्यक्तियों के निवास के बीच में १६० गौसदन को आप पांच वर्ष में स्थापित करना चाहेंगे। मैं उस के लिये भी आप को धन्यबाद देता हूं। किन्तु जब तक गोवध को गोहत्या करने वालों को आप कानून द्वारा

[श्री नन्दलाल शर्मा]

नहीं रोकेंगे तब तक आप को सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि ट्रैक्टर के द्वारा आप का काम नहीं चलने वाला है ।

इसी के साथ मैं आगे चल कर स्वास्थ्य के बारे में कुछ निवेदन कर दूं । स्वास्थ्य मंत्राणी महोदया यहां है नहीं । स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी खर्चा बहुत कुछ बतलाया गया, क्षय रोग पर, मलेरिया पर, मच्छर मार पार्टियों पर । किन्तु शुद्ध घी और शुद्ध दूध की प्राप्ति के लिये जो बच्चों के लिये और माताओं के लिये सब से आवश्यक वस्तु है और जिस के द्वारा फिर न मलेरिया उन पर प्रभाव डाल सकेगा और न क्षय रोग ही आ सकेगा, उस शुद्ध दूध और घी की प्राप्ति के लिये कोई उपाय नहीं दिया गया है । दूध तो आप के डब्बे का है और तालीम है सरकार की । यह डब्बे का दूध बाहर का पाउडर मिल्क आ कर काम नहीं करेगा ।

साथ ही में स्वास्थ्य शिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना चाहता हूं । आयुर्वेद के द्वारा जो स्वास्थ्य शिक्षा सब से कम खर्च में भारतवर्ष में चल सकती है उस की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया गया । शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में भी कहना है । मौलाना साहब उपस्थित नहीं हैं । परन्तु मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि संस्कृत शिक्षा को बिल्कुल मटियामेट करने का प्रयत्न करने का इन्हों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है । संस्कृत यूनीवर्सिटियां यहां भारतवर्ष में चलती थीं । आप आज मनुष्य के लिये रोटी प्राप्त करने के लिये अमरीका और इंगलैंड तक दौड़े जा रहे हैं । किन्तु आप की खोपड़ी को बनाने वाली जो दिव्यातिदिव्य सिर में मशीन है, उस मशीन का सर्वनाश करते चले जा रहे हैं । फ्री एजूकेशन के नाम से भारत वर्ष में आज तक संस्कृत और हिन्दी फ्री पढ़ाई जाती थी । अभी भी पाठशालायें और विद्यालय और आप के ऋषिकुल जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो आप के राष्ट्रीय ढंग पर चलने वाली संस्थायें थीं, उन को आप ने मार देने का प्रयत्न किया है । उन में शर्तें लगा दी हैं कि पांच पांच अध्यापक न रखो तो पाठशाला नहीं चला सकते । जहां एक कौड़ी फीस नहीं ली जाती थी और धार्मिक भावना से राष्ट्रीय भावना से लड़कों को शिक्षा दी जाती थी सिम्पल लिविंग और हाई थिंकिंग की, उस के बदले आप कालेज के लड़कों और कालेज की लड़कियों को पढ़ाते जा रहे हैं जिन की दृष्टि कि रूस और अमरीका की ओर होगी और भारतवर्ष की ओर नहीं जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक शब्द राजस्थान के बारे में कह देना चाहता हूं जहां से मेरा निर्वाचन हुआ है । मैं समझता हूं कि राजस्थान की राजनैतिक परिस्थिति इस समय बहुत गन्दी हो रही है । क्षमा करेंगे, अगर मैं यह कहूं कि वहां राजपूत, जाट इत्यादि जातियों को आपस में लड़ाने का प्रयत्न हमारे कुछ कांग्रेसी भाई कर रहे हैं, इस के लिये मैं सभी कांग्रेस वालों को दोष नहीं देता, लेकिन कुछ कांग्रेसियों ने अपने स्वार्थ के लिए वहां ऐसा किया है और मैं आप को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप ने अलवर और भरतपुर से ले कर और पाकिस्तान तक की सीमा तक चलने वाली इस वीर भूमि को इस प्रकार झगड़ों में डाल दिया तो आप को यह झगड़ा सम्भालना कठिन हो जायगा । केवल १६ करोड़ रुपया राजस्थान के लिये दे कर इस प्रदेश से अन्याय किया है । वहां की सारी बड़ी बड़ी स्टेटस् को जो उन्नति की योजनायें रखती थीं, उन सब रियासतों को मिला कर महा राजस्थान बनाया गया है, वहां की रेलवेज को आप ने

ले कर के समस्त रेलवे सिस्टम को अपने हाथ में कर के जहां नई लाइन्स बनने वाली थीं उन्हें रोक लिया है वहां किराया भी डबल कर दिया गया, इसलिये मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जनता के दुख व कष्ट ज्यों के त्यों चले जा रहे हैं और मैं यहां पर राजस्थान के रेलवे सिस्टम को और विशेष रूप से रेलवे विभाग का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

बस एक शब्द मैं केवल योजना बनाने वालों से और कहना चाहता हूं, कि जिस बीमार को बाहर से कोई औषधि मिलने की कोई उम्मीद न हो और अपने घर में ही उस औषधि को तलाश करना हो, वह अगर स्वयं अपने घर वालों को ठीक करने का विचार नहीं करता है तो इस से बढ़ कर दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है ।

आज हमारी भारतमाता के अंग भंग हो गये, टुकड़े हो गये, और आज इसी कारण उस के बच्चों को देश में अनाज खाने को नहीं मिल रहा हैं, क्योंकि अन्न पैदा करने वाले प्रदेश तो हम से बाहर चले गये हैं, और खाने वाले आप के यहां हैं । दुख तो इस बात का है कि भारतमाता के टुकड़े कटी हुई भुजाओं और उस के कटे हुए सिर को पुनः मरम्मत करने की तरफ आप लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया । और भारत को फिर से अखंड बनाने की कोई योजना आप ने नहीं रक्खी हैं, मैं समझता हूं कि जब तक आप यह नहीं करते आप का कल्याण होने वाला नहीं है । याद रक्खें कि यह लाल और हरा ऊपर नीचे से आप को घेर चुका है, और लाल वाले और हरे वाले आप को खा जाना चाहते हैं । आप ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है जिस से इस वायलेट द्वारा इस रेड और ग्रीन दोनों को इस श्वेत में मिला कर धर्म चक्र की विजय कर सकें, अगर आप ऐसा करें ने तो हमेशा विजय आप की रहेगी ।

योजना तथा सिंचाई व विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : इस सदन में और बाहर इस योजना की प्रशंसा की गई है तथा उसका समर्थन किया गया है । इसका मैं बड़ा आभार मानता हूं । इस योजना के प्रत्येक प्रमुख अंग का अनुमोदन किया गया है । योजना बनाने के लिए बहुत सी सामग्री एकत्रित की की गई है । प्रत्येक सदस्य ने इस बात को माना है । योजना आयोग खाद्य के स्वावलम्बन कृषि के विकास, तथा सिंचाई और विद्युत पर जोर दिया है । इसका लोगों ने बड़ा स्वागत किया है । गांवों के उद्योगों और लघु अनुमाप उद्योगों का विस्तार कर बेकारी की समस्या हल की जाएगी ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यासीन],

उत्पादन की अन्य योजनाओं का अन्य दृष्टि से भी स्वागत हुआ है ।

श्रम नीति को ही लीजिए । कुछ मिनिट पहले हमने इसके विषय में कुछ भी सुना हो पर योजना आयोग ने औद्योगिक संबंध का जो नया आधार (**एक सदस्य** : प्रतिक्रियात्मक) निकाला है उसके उन लोगों ने स्वीकार किया है जिनका इससे संबंध है । (**अन्तर्बाधा**) मैं श्रम-समस्या पर नहीं बोल रहा हूं अतएव वह बात नहीं आरम्भ करूंगा । मैं उसे किसी दूसरे अवसर पर लूंगा । औद्योगिक श्रमिकों के घरों के विषय में यद्यपि पर्याप्त उपबन्ध नहीं किया गया है फिर भी वर्तमान दशा का बहुत सुधार किया गया है । आधार भूत योजना और मलेरिया के नियंत्रण और नाश के विषय में हम जो कुछ कर रहे हैं उसकी बड़ी प्रशंसा हुई है । इसी तरह आधार उद्योगों, यातायात की सुविधाओं और अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के लिये जो उपबन्ध किया गया है उसकी भी तारीफ की गई है । फिर भी कोई इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस योजना

[श्री नन्दा]

का विरोध किया गया है तथा कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। इस असहमति के विषय में एक बात कही जा सकती है। जितने भाषण दिए हैं उन में योजना के सुझाव को मान्य किया गया है। इस में से कोई भी किसी बात को नहीं हटाना चाहता। वे केवल यह कहते हैं कि इसके उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं। प्रत्येक दिशा में अधिक योजना की मांग की जा रही है। मैं इस रूख को समझता हूं तथा इससे सहमत हूं। पर इस विषय में मैं अभी विवश हूं। यदि हम सहयोग देकर इस योजना को सफल बना दें तथा उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के पश्चात् भी अधिक कार्य करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। यदि कुछ लोगों के असहयोग से कम कार्य होगा तो उससे सब को हानि होगी। सबसे अधिक जन-साधारण को हानि होगी। यही हम सब के लिए खतरा है।

अब में कुछ उन प्रधान बातों की चर्चा करूंगा जो वादविवाद के दौरान में उठाई गई थीं। छोटी छोटी सब बातों का मैं उत्तर नहीं दे सकता और न मैं स्थानीय समस्याओं, योजनाओं और कठिनाइओं का ही उत्तर दे सकता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे महत्वपूर्ण नहीं है। किसी अन्य अवसर पर उन्हें लिया जा सकता है फिर भी मैं एक दो सामान्य विषयों की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहूंगा। हमने सुना है कि कुछ राज्य संतुष्ट नहीं है। इसे यहां पर पूरी तरह व्यक्त किया गया है। उनकी शिकायत यह है कि कुछ आवश्यक योजनाओं की व्यवस्था नहीं की गई है। इन योजनाओं कि यहां विशेष रूप से चर्चा की गई थी। इसके विषय में मेरा कहना यह है कि इन राज्यों के कार्यक्रम अल्पतम हैं अधिकतम नहीं। यदि किसी राज्य के पास अतिरिक्त संसाधन हों तो वह अपनी योजना को बड़ी बना सकता है परन्तु इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस कार्यक्रम को योजना में पहिले मिलाया गया है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएं। सिंचाई के छोटे साधन, स्थानीय कर्म, अभाव ग्रस्थ क्षेत्र, सामुदायिक योजनाएं और अन्य अतिरिक्त योजनाओं का उपबन्ध किया गया है। विभिन्न राज्यों में इनका वितरण नहीं हो सका है। जब इनका वितरण विभिन्न राज्यों में हो जाएगा तब बहुत सी नई बातें आ जाएंगी जो अभी वहां नहीं हैं। इस तरह विभिन्न राज्यों की योजनाएं बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लीजिए। उसकी यहां चर्चा की गई थी। वहां की जो योजना घोषित की गई थी, उसमें जो कमी है वह पूरी की जा सकेगी। यह बात कम अधिक अंशों में अन्य राज्यों को भी लागू होती है। बंगाल का ही उदाहरण लीजिए। वहां पर गंगा बांध और अन्य योजनायें हैं।

योजना की जो आलोचना की गई है उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं उठाई गई है। उससे योजना में विशेष भेद कोई नहीं पड़ता। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि योजना में कोई त्रुटियां नहीं दिखाई गईं अथवा उपयोगी सुझाव नहीं दिए गए अथवा ऐसी कोई बात नहीं कही गई जिस पर हम ध्यान दें : ऐसी बहुत सी बातें थी। मेरा कहने का अर्थ केवल यह है कि पंचवर्षीय योजना के सिद्धान्तों उद्देश्यों और विकास कार्यक्रम का जहां तक संबंध है और जिन के लिए सदन के अनुमोदन की आवश्यकता है उन पर आलोचना का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है।

अब आलोचना के अनुसार में योजना की विभिन्न बातों को लूंगा। कोई भी योजना तब ग्राह्य हो सकती है जब उसमें कुछ आधारभूत बातें हों। सबसे महत्व-

पूर्ण आधारभूत बात यह है कि योजना का दृष्टि कोण ठीक हो। दृष्टिकोण का तात्पर्य उद्देश्यों तरीकों और इन दोनों के चुनाव से है। दूसरी बात यह है कि योजना पर्याप्त होनी चाहिए। देश के संसाधनों का उसके द्वारा पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में वह ऐसी न हो जिससे अधिक हानिमय होने की संभावना हो। तीसरी बात यह है कि योजना सन्तुलित होनी चाहिए। उसमें प्राथमिकताएं उचित होनी चाहिए। योजना प्रभावी भी होनी चाहिए। वह ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वह कार्यान्वित की जा सकें। इसमें कई बातें आती हैं। पहले योजना के दृष्टिकोण को लीजिये। कुछ लोग इसके आधार पर ही उंगली उठाते हैं। जिसे हम ठीक समझते हैं वे उसे खराब समझते हैं ऐसे लोगों से विवाद करने में कोई लाभ नहीं है। मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूं जो प्रोफेसर एच० एन० मुखर्जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि देश की आवश्यकताओं को देखते हुए इस योजना की कोई फिलासफी नहीं है। संभव है कि हमारी और उनकी फिलासफी भिन्न हो। हमारे पास वह फिलासफी अवश्य है जिससे लोगों की आवश्यकता पूर्ण हो सकेगी और जो इस देश की दशा को देखते हुए बड़ी उपयुक्त है। इस योजना के परिणामों को देखकर ही हम कह सकेंगे। हमारे मतभेद कुछ भी हों परन्तु इस योजना के दृष्टिकोण को बुरा नाम देने से कोई लाभ नहीं होगा। इसे यथास्थिति योजना कहना असमता बनाए रखने वाली योजना कहना तथा पूंजीवादियों की योजना कहना ठीक नहीं है। यथास्थिति बनाए रखने को यह योजना नहीं है। यह परिवर्तन की योजना है। इससे शिल्पिक, आर्थिक और समाजिक परिवर्तन होंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : किसानों के ऋण घटाने के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री नन्दा : समय बचा तो उस प्रश्न को भी मैं लूंगा। जैसा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा यह वह पूंजीवादी योजना नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया है। यह उन्मूलनवादी योजना है। इसमें विशेष अधिकार द्वारा प्राप्त और अन्तर्गत आय को मिटाने का प्रयत्न किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समता प्राप्त करना है। इस से लोगों को सुरक्षा मिलेगी तथा उनका जीवनस्तर बढ़ेगा।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलुरू) : यह बात संविधान में कही गई है।

श्री नन्दा : आप की बात का तात्पर्य मैं नहीं समझ सका। परन्तु मुझे उस की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। संभवतया आप के कहने का अर्थ यह है कि यद्यपि हम वैसी बातें कहते हैं परन्तु करते नहीं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : आप ने गैर सरकारी क्षेत्र को सर्वथा नहीं लिया है।

श्री नन्दा : मैं गैर-सरकारी क्षेत्र को भी बाद में लूंगा।

मेरे माननीय मित्र का तात्पर्य यह है कि हम सिद्धान्तों की केवल स्तुति ही करते हैं, उनका पालन नहीं करते। यह गलत बात है। हम मानते हैं कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ कार्यवाहियां करनी पड़ती नए वातावरण की स्थापना करनी पड़ती हैं, संस्थाओं में परिवर्तन करना पड़ता है तथा आर्थिक संगठन के नए तरीकों को मालूम करना पड़ता है। यह सब कुछ ठीक है। योजना में यदि यही किया गया है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से जो बातें करनी पड़ेंगी तथा जिस दिशा में हम अग्रसर होंगे उन सब बातों को हमने निश्चित कर लिया है। योजना में यह बात मान ली गई है कि देश की अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसमें

[श्री नन्दा]

यह बात भी मान ली गई है कि सरकार को इस के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ेगा, उसे अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, विकास कार्य आरम्भ करना पड़ेगा तथा सामाजिक और आर्थिक समता के लिए विभिन्न कार्यवाहियां करनी पड़ेंगी । इन सब से संबंधित विभिन्न बातें सारी योजना में हैं ।

यह केवल महत्वाकांक्षा नहीं है । इन बातों को कार्यान्वित किया जाएगा । इसे सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं । माननीय सदस्य योजना विभिन्न स्थानों में नई व्यवस्था की चर्चा पाएँगे, जिसे स्थापित करना पड़ेगा । सहकारी संगठनों और संवर्गों की भी चर्चा की गई है। उस पक्ष के अथवा इस पक्ष के माननीय सदस्य चाहे कुछ भी कहें परन्तु उसके बिना कुछ नहीं हो सकता । खेती की प्रणाली का पुनर्संगठन, भूनीति, वितरण की समस्या और राज्य व्यापार आदि भी महत्वपूर्ण बातें हैं। सहकारिता द्वारा ग्रामक्षेत्रों में कृषि विपणन और अन्य उद्योगों का धीरे धीरे समाजीकरण करने की ओर भी मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । इस की विभिन्न कंडिकाओं में वित्त की चर्चा है। यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि बीमा और श्रेष्ठिचत्वर को मिला कर वित्त की सारी व्यवस्था को आवश्यकतानुसार विकास और योजना के लिए उपयोगी बनाना पड़ेगा । वह वैयक्तिक इरादों पर निर्भर नहीं रहेगा ।

वित्तीय नीति के बारे में यह कहा गया है कि लोक क्षेत्र का विकसित करना इसका ध्येय होना चाहिए । योजना में गैरसरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का भी उल्लेख है । असमताओं को घटाना ही इसका उद्देश्य है। माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि मृत्यु-शुल्क सम्बन्धी सिपारिश स्वीकार कर ली गई हैं । उसका परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है। यह बताया गया है कि आयकर की प्रगामी दरों को बढ़ाने, मूल्यों और लाभ को नियमित करने तथा मृत्युकर लगाने से विषमता मिटाई जा सकती है ।

पूंजी-निर्माण और बचत के बारे में योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह वैयक्तिक बचत तथा निगम बचत भी पसंद नहीं करता क्यों कि उस से कुछ लोगों के पास धन का संकेन्द्रण हो जाता है। इसलिए योजना आयोग सहकारी बचत को पसंद करता है । उन ग्रंथों में माननीय सदस्य ये बातें तथा अन्य बातें पा सकते हैं ।

यह कहा गया है कि गति बहुत धीमी है। सौ वर्षों के पश्चात् भी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति न करने पाएँगे । यह बात सच नहीं है। हम धीरे धीरे काम करने में विश्वास नहीं करते । चाहते हैं कि परिवर्तन शीघ्र हो । परन्तु यह परिवर्तन व्यवस्थित रूप से तथा शान्तिपूर्वक हो । इस शर्त का ध्यान रख हम जिस चाहे उद्देश्य की प्राप्ति जितनी चाहे उतनी अधिक शीघ्रता से कर सकते हैं। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो सोचते हैं कि जब तक अव्यवस्था न फैले, कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, फिर चाहे उसके द्वारा हुई क्षति को पूरी करने में वर्षों क्यों न लग जाएँ । मैं उस गति को तेज नहीं कह सकता । बहुत शीघ्रता करने से यदि बाद में हमें अपने कदम वापिस उठाने पड़े तो वह ठीक नहीं । दो कदम आगे जाने पर यदि चार कदम वापिस जाना पड़े तो कोई लाभ नहीं । यह उस देश में हुआ था जहां पहले योजना बनाई गई थी ।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) : माननीय प्रधान मंत्री जी ने कई बार कहा हं कि औद्योगीकरण के लिए हमें शीघ्रता तथा प्रबलता से काम करना पडेगा ।

श्री नन्दा : मैं एक देश के अनुभव की बात कह कर यह बता रहा था कि गति अत्यधिक

बढ़ाने से किसी देश को लाभ नहीं हो सकता। उन प्रारम्भिक वर्षों में अत्यधिक अपव्यय के कारण उन देशों की कृषि का उत्पादन ५० प्रतिशत से भी कम हो गया था।

एक माननीय सदस्य: आप किस देश की चर्चा कर रहे हैं ?

श्री नन्दा: वह सब को भलि भांति मालूम है ।

अभी मैं अपने देश के भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम वास्तव में एक ऐसी पक्की नींव डाल रहे हैं जिसके ऊपर वास्तव ही में भव्य, सुदृढ़ भवन का निर्माण हो सकेगा। नींव अदृष्य है तथा उसे डालने में समय लगता है। जब नींव डाली जा रही है तब कोई यह नहीं कह सकता कि कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बिना नींव के जो कुछ भी बनाया जायगा वह गिर जायगा। हम इस तरह का निर्माण नहीं करना चाहते ।

योजना के विषय में मुझे एक बात और कहनी है। कुछ दिन हुए गुजरात के एक माननीय सदस्य ने कहा कि था यदि मैं वैयक्तिक उपक्रम नहीं चाहता तो स्पष्ट कह दूं, उन्हें असमञ्जस्य में न रखूं तथा यदि उसे मैं मिटाना चाहता हूं तो मिटा दूं। उन्होंने कहा था कि मैंने वैसा किया तो देश को कष्ट होगा क्यों कि हमारे पास आवश्यक यन्त्र नहीं है, कर्मचारी नहीं हैं तथा हम पहले की अपेक्षा स्थिति को बिगाड़ देंगे । पहले उन्हें वैयक्तिक उपक्रम तथा पूंजीवाद में भेद करना चाहिए। ऐसा वैयक्तिक उपक्रम हो सकता है जो पूंजीवादी न हो। छोटे छोटे कई व्यक्ति अपना रोजगार कर सकते हैं। सहकारिता से भी रोजगार किया जा सकता है। परन्तु भविष्य में हमारे देश में महानुमाप व्यापार तथा उद्योग समाज की ओर से ही चलाए जाएँगे—लघु अनुमाप उद्योग, कुटीर उद्योग और अल्पशो उद्योग सहकारी संस्थाओं के हाथ में रहेंगे ।

इसका अर्थ यह नहीं कि उस प्रकार के वैयक्तिक उपक्रम के लिए कीई स्थान न रहेगा। जो आज हमारी अर्थव्यवस्था का अंग है। जब तक और कोई साधन प्राप्त नहीं होते जिन से समाज की सेवा की जा सके तब तक ये लोग रहेंगे ही। जब दूसरे ऐसे साधन मिल जाएँगे जिनसे समाज की अच्छी तरह सेवा की जा सकेगी तब बिना हिचक के आवश्यक परिवर्तन किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि उस समुदाय के लोग राष्ट्र के भले के लिए उस कार्यक्रम को पूरा करने में अपने अनुभव द्वारा सहायता करेंगे जिस से कि वह भलिभांति पूरा किया जा सके। तब तक उन्हें प्रभावी रूप से काम करने दिया जाए तथा उन्हें परेशान न किया जाए। परन्तु समाज के हित में उन का यथोचित्त नियंत्रण होना आवश्यक है। उस दृष्टिकोण के विषय में यह स्थिति है। गांधी दृष्टिकोण वाले लोगों की आलोचना सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। लोग मुझे भी कुछ कुछ गांधीवादी समझते हैं। यह कहा गया है कि यह योजना गांधीवाद से बहुत परे है। यह बिल्कुल झूठ है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए योजना में यथाशक्य गांधी जी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है। ग्राम क्षेत्रों के लिए इस योजना के अनुसार पर्याप्त संसाधन प्रयुक्त होंगे। यदि हम अन्न स्वावलम्बन, भूमि-सुधारकुटीर, उद्योग ग्राम-उद्योग, लघु अनुमाप उद्योग, बुनियादी शिक्षा, आदि बातों को लें तो वे मिल कर योजना का महत्वपूर्ण अंग बन जाती हैं। मुझे इस बात का कोई खेद नहीं है। यदि इस दिशा में कुछ और किया जा सकता है तो हम उसे करने के लिए तैयार हैं। काम आरंभ करने की आवश्यकता है। जिन दिशाओं में सफलता सरलता से प्राप्त होती है उन दिशाओं

[श्री नन्दा]

में अधिक उन्नति कर सकते हैं। योजना के दृष्टिकोण को यह पहली परीक्षा है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या योजना पर्याप्त है ? क्या उसके विकास से कार्यक्रम का अनुमाप पर्याप्त है ? इस पर दो मत हैं। एक तो निराशावादियों का मत है जिसकी झांकी हमें डा० एस० पी० मुखर्जी के भाषण में मिली है। इसके अनुसार हमें इतने अधिक संसाधन प्राप्त करने की आशा नहीं करना चाहिए। राज्यों को उतना राजस्व प्राप्त नहीं हो सकता तथा ऋण और कर द्वारा उतनी राशि इकट्ठी करने की आशा नहीं की जा सकती। हीनार्थ वित्तप्रबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि वह वांछनीय नहीं है। विदेशी सहायता को उन्होंने तथा दूसरों ने भयकारी बतलाया। अतएव इस मत के अनुसार वे संसाधन एकत्रित नहीं किए जा सकते जिनका उपबंध योजना में किया गया है।

इस दृष्टिकोण से अधिक विस्तृत दृष्टिकोण वाले भी हैं। मुझे नाम तो याद नहीं है परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कर बढ़ाने से हम आवश्यक राजस्व प्राप्त नहीं कर सकेंगे उन्होंने यह भी कहा कि अधिक कर लगाने या उन्हें बढ़ाने का हमें प्रयत्न भी न करना चाहिए क्योंकि जनता इस से रुष्ट होगी। उन्होंने उधार लेना आत्म सम्मान के विरुद्ध समझा तथा उधार लेने से मना किया। यह भी कहा कि हमने जो लक्ष्य स्थापित किए हैं उनकी प्राप्ति न हो सकेगी। यह बात भी बलपूर्वक यहां कही गई है थी।

यह तर्क किया गया था कि कपास, जूट, चीनी आदि के लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं परन्तु हमारे पास क्रयशक्ति नहीं है। यह गलत है। कपास, जूट और चीनी तथा गुड़ के विषय में लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। यह बात कही गई थी कि इन दो तीन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाने पर भी लोग उनका उपभोग नहीं कर सकते। मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने इस बात पर पूरी चर्चा की है। यदि वास्तव ही में क्रयशक्ति बहुत कम होगी तो मूल्य गिर जाएँगे। इस अवसर पर हीनार्थ वित्त प्रबन्धन करने का अवसर मिलेगा अतएव अर्थव्यवस्था में क्रयशक्ति उत्पन्न की जा सकती है। (अन्तर्बाधा)। मैं इस बात को समझता हूं और यदि माननीय सदस्य इसे नहीं समझते हैं तो किसी दूसरे अवसर पर उन्हें विस्तार में समझाया जाएगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : डा० शास्त्र का अर्थशास्त्र।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य उन्हें बीच में न टोकें। उन्हें आगे बोलने दें।

श्री नम्बियार : कठिनाई यह है कि हमें समझ में नहीं आता।

श्री नन्दा : श्रीमान् मेरा समय लिया जा रहा है। क्या यह वास्तव में ही इतनी कठिन बात है ? अभी ५ प्रतिशत आय का विनियोजन किया जा रहा है। हम इसे बढ़ा कर पांच वर्षों के अंत में ६ ३/४ प्रतिशत करना चाहते हैं। हम इसे कैसे करेंगे ? प्रत्येक वर्ष हम अतिरिक्त आय का २० प्रतिशत लेंगे। उससे हमें यह मिलता है (**एक माननीय सदस्य** : क्या ?) कि योजना में किस क्रय से विनियोजन किया जायगा। केवल यह ही नहीं देश में शेष विनियोजन (**अन्तर्बाधा**) श्रीमान् यह बात केवल शब्दावलि समझने की नहीं है। यह दूसरे प्रकार से समझना है। हम से कहा गया है कि किसान ऋणी है, उसका जीवन स्तर निम्नतम है अतएव उससे अधिक परोक्ष कर देने के लिए नहीं कहा जा सकता। मैं बता चुका हूं कि वह हमें बढ़ी हुई आय से प्राप्त होगा। इस योजना का जहां तक संबंध है उनके उपभोग को कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने समझा कि ऐसे कार्यक्रम का

माननीय सदस्य समर्थन करेंगे क्योंकि वे बार बार पूछते हैं कि पांच वर्षों के पश्चात् कितना कपड़ा और अन्न होगा। उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि उनकी राशि अधिक करने का तात्पर्य विनियोजन को घटाना हुआ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या आय बढ़ाने का अभिप्राय जीवनस्तर बढ़ाना नहीं है ?

श्री नन्दा : एक ही स्थान से दो वस्तुऐं निकलती हैं और वे विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। आय का उपभोग किया जा सकता है तथा विनियोजन भी। यदि अधिक उपभोग किया जाएगा तो विनियोजन के लिए कम बचेगा। अधिक उपभोग और अधिक विनियोजन साथ ही साथ नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य चालू टिप्पणी न करें। जब मंत्री जी का भाषण समाप्त हो जाए तब प्रश्न रखें।

श्री नन्दा : हम कह रहे थे कि क्या लोगों में कर देने की क्षमता और तत्परता है। यदि उन्हें समझाया जायगा कि जो राशि उनसे ली जायगी उससे चौगुनी उन्हें मिल जाएगी तथा वे समृद्ध हो जाएंगे तथा उनका जीवन स्तर बढ़ेगा तो वे हर्षपूर्वक देंगे। देने में उन्हें कोई हिचक न होगी। डा० मुखर्जी अब यहाँ नहीं हैं। एक ओर तो कहते हैं कि उद्देश्यों को सीमित करो, संसाधनों का अपव्यय न करो तथा महत्वाकांक्षी न बनो और दूसरी ओर वे पांच मिनट के बाद कहते हैं कि "ये बातें करो" वे कहते हैं "पांच साल में सारी गंदी बस्तियां समाप्त करो, सबका पुनर्वास करा दो, मध्यम-वर्ग के सब लोगों की बेकारी हटा दो, ग्रामों में घरों की व्यवस्था करो। अधिक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध करो तथा आधार उद्योगों की स्थापना करो"

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : गंगा बांध भी।

श्री नन्दा : डा० मुखर्जी कहते हैं कि अधिक शिक्षा का तथा क्षय मिटाने का प्रबन्ध करो। ये सब मिलाकर दस गुनी.....

श्री बी० एस मूर्ति : श्रीमान औचित्य प्रश्न है। क्या मंत्री जी उन शब्दों को डा० मुखर्जी के शब्द कह सकते हैं जो उन्होंने कहे ही नहीं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को यह पूछने का कोई अधिकार नहीं है। यदि डा० मुखर्जी यहां होते तो वे विरोध कर सकते थे अथवा वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकते थे। यह तो देखने की बात है कि डा० मुखर्जी ने क्या कहा था और मंत्री जी क्या कह रहे हैं। माननीय सदस्य कृपया बीच में न टोकें।

श्री नन्दा : जो बातें डा० मुखर्जी ने कहीं उन्हें मैं दुहरा रहा हूं आप चाहें तो डा० मुखर्जी का भाषण देख सकते हैं। उन्होंनें कहा था कि "महत्वाकांक्षी न बनो, अपने लक्ष्य घटाओ ये सारी बातें न करो।" दूसरी ओर वे चाहते है कि वे सारी बातें की जाएं। यही मैंने कहा है। अब मैं दूसरे प्रकार के मत वालों को लूंगा।

(उपाध्यक्ष महोदय अध्यासीन)

दूसरे लोगों का कहना है कि हम बहुत कम करने का प्रयास कर रहे है। योजना में दिए गए राष्ट्रीय आय की वृद्धि के आंकड़ों पर वे गम्भीरता पूर्वक विचार न करें और हंसी उड़ाते हुए कहें कि पांच वर्षों में केवल पांच प्रतिशत। वे यह कह सकते हैं कि २७ साल में हमारी आय दुगनी हो जाएगी परन्तु तब तक कौन जीवित रहेगा ?"श्रीमान यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पूंजी आय की दुगना का तात्पर्य वास्तव में आय को तिगुना करना है। यदि पर्याप्त सहयोग मिले तो २० साल में प्रतिव्यक्ति पूंजी दुगनी की जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि १५ साल में आय दुगनी हो जाएगी। प्रो० एच० एन० मुखर्जी

[श्री नंदा]

ने जो बात कही उसे मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि २७ साल के बाद देश उस स्थिति पर पहुंचेगा जो १९३८ में थी। मैं इसे नहीं समझ सका परन्तु अब मै स्पष्टीकरण के लिए नहीं ठहरूँगा। इस दर को बढ़ाने का क्या उपाय है ? पांच साल के बाद हम क्या करना चाहते हैं ? इस अवधि में हम अतिरिक्त आय का २० प्रतिशत लेंगे और उसके बाद अतिरिक्त आय का ५० प्रतिशत लेने लगेंगे जिससे कि दस सालों में ६ प्रतिशत १० प्रतिशत बन जाएगा। तथा उस अवधि के बाद २० प्रतिशत बन जायगा विनियोजन के लिए २० प्रतिशत पर्याप्त है। क्या हमें इसके स्थान में कोई दूसरी बात सुझाई गई है? मान लीजिये हम इस बात पर सहमत हो जाएं कि विकास का अनुमाप तथा विनियोजन बढ़ा दिया जाए। इसे हम किस तरह करेंगे ? इस से उपभोग नहीं बढ़ाया जा सकता इस के लिए बार बार कहा जा रहा है।

एक बात का सुझाव दिया गया था वह यह कि निजी उद्योगों के लाभों को ले लिया जाना चाहिए इन लाभों के विषय में लोगों का भ्रम है। मेरे पास उसके आंकड़े हैं। १९५०-५१ में ९८ करोड़ रुपए लाभ हुआ था जिस में से ४० करोड़ कर के रूप में ले लिया गया था, २४ करोड़ लाभांश के रूप में बांटा गया था। तथा ३४ करोड़ शेष बचा था। विनियोजन तो देखते हुए यह राशि बहुत अधिक नहीं कही जा सकती इसे हम वैय्यक्तिक क्षेत्र में छोड़ रहे हैं। इस के साथ उनके ऊपर ज़िम्मेवारियां भी रहेंगी। वैय्यक्तिक क्षेत्र वालों को वे ज़िम्मवारियां पूरी करनी पड़ेंगी। उसे विनियोजन करना पड़ेगा तथा उसे क्षेत्र की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अतएव वैय्यक्तिक क्षेत्र वालों के साथ कोई पक्ष पात नहीं किया गया है।

श्री एव० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं ने जूट उद्योग के लाभ के बारे में कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को वैय्यक्तिक स्पष्टीकरण के तौर पर क्या कहना है ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : विरोधि पक्ष के कुछ सदस्यों ने लाभ की जो राशि बताई थी उसका उन्होंने चर्चा का थी। एक प्रतिबन्ध के साथ मैं ने कहा था कि जूट उद्योग का लाभ ५० करोड़ रुपया है। अभिलेख में यह बात दा गई है। केपीटल के ५ अप्रैल के अंक में यह बतलाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कोई भ्रम नहीं उठना चाहिये। वित्त मंत्री ने इस आंकड़े को गलत बतलाया था।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं ने बताया था कि विदेशी पूंजीपतियों को कितना लाभ हो सकता है उन्होंने वास्तवितक लाभ की राशि बतलाई थी। यहीं पर भ्रम है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भ्रम नहीं है।

श्री नन्दा : इस विषय का केवल निर्णय ही दिया गया है। इसकी फिर से परीक्षा की जा सकती है।

सेवा नियोजन की सदस्यों ने बार बार चर्चा की और बताया कि इसके विषय में योजना में त्रुटि है। यह कहा गया है कि इस योजना में सेवानियोजन का ध्यान नहीं रखा गया है। इस बात का दावा नहीं किया गया है कि अगले तीन वर्षों में प्रत्येक को काम मिल जायेगा। यह किसी प्रकार की पद्धति में किसी भी योजना द्वारा सम्भव नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : उसकी कोई आशा नहीं करता।

श्री नन्दा : अगले तीन वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल जायेगा इसकी कोई

आशा नहीं करता । अगली पंचवर्षीय योजना में हम इसकी आशा करते हैं । प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि में दशा सुधरती ही जायेगी । अगले पांच वर्षों में सेवानियोजन की दिशा में अधिक न किया जा सकेगा । सेवानियोजन के अध्याय में थोड़ी गणना की गई है । वह पूरी नहीं है । ग्रामों में उत्पादन बढ़ेगा तथा सब संसाधनों का उपयोग सिंचाई बढ़ाने के लिये किया जायगा । अतएव इससे सेवा नियोजन बढ़ेगा । इसका मैंने थोड़ा हिसाब लगाया है । वह कितना होगा यह बताने के लिये मैं सदन का समय न लूंगा ।

कुछ माननीय सदस्य : बतलाइये ।

१ म० प०

श्री नन्दा : लघु सिंचाई कर्मों को पूरा करने में ११३ करोड़ रुपया लगेगा तथा इससे लगभग ६० करोड़ श्रमिक दिवस अतिरिक्त काम मिलेगा । इसकी गणना इकाइयों में नहीं की जा सकती अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि इतने व्यक्तियों को काम मिल जायेगा क्यों कि गांवों में बेकारी की वास्तविक समस्या उन सेवा नियोजन की तथा भ्रमात्मक सेवानियोजन की है । कृष्यकरण और भूमिविकास के कार्यक्रमों में ३५ करोड़ रुपये लगेंगे । इससे दस करोड़ श्रमिक दिवस सेवानियोजन किया जा सकेगा । इससे ३० लाख लोगों को काम मिलेगा । सिंचाई के साधन होने से गहन कृषि होगी तथा सिंचाई के साधनों वाली २ करोड़ एकड़ भूमि से किसान परिवारों के ६० लाख सदस्यों को अधिक काम मिलेगा । ७४ लाख एकड़ भूमि में खेती का विस्तार करने से ७॥ लाख परिवारों को पूरा काम मिलेगा । इसके अतिरिक्त अच्छे बीज, उर्वरक, खाद आदि गहनकृषि के साधनों का उपयोग करने से १९५५-५६ तक प्रतिशत किसानों को लगभग २५-३० प्रतिशत अधिक प्रयास करना पड़ेगा । यह कुछ कम नहीं है । इस कार्यक्रम से यह हो सकेगा ।

अब मैं प्राथमिकता के प्रश्न को लूंगा । जैसा मैं कह चुका हूं, प्राथमिकताओं पर कोई आपत्ति नहीं की गई हैं । जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं तथा जिसे करने का हमारा इरादा है वह स्वीकार्य है प्रश्न केवल इन्हें अधिक मात्रा में करने तथा दूसरी वस्तुओं को करने का है । वास्तव में यह प्रश्न प्राथमिकता का नहीं है । यह प्रश्न तो योजना को विस्तृत करने का है । मैं पहले बता चुका हूं कि देश की वर्तमान दशा में हम उतना करने का ही प्रयत्न कर सकते हैं ।

अब हम चौथी कसौटी को लेंगे । योजना प्रभावकारी होनी चाहिये तथा उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये । डा० मुखर्जी और अन्य सदस्यों ने भी कई बार यह प्रश्न उठाया था कि यह योजना क्या कोई योजना में योजना है । उन्होंने उसे बहुत सी स्कीमों का समूह कहा है । जब तक इस में शत प्रतिशत योजना न हो तब तक इसे योजना नहीं कहा जा सकता । हमारे पास फ़सल की योजना होनी चाहिये । तथा हमारी अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक पहलू के लिए योजना होनी चाहिए । हम से कहा गया है कि हमने जन शक्ति को नहीं मापा है ।

कुछ माननीय सदस्य : कुछ संशोधन हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन पर मत लिया जायेगा ।

श्री नन्दा : इस योजना पर यह आरोप लगाया गया था कि इससे हमारी सब कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान नहीं होता तथा इसमें प्रत्येक प्रकार के आंकड़े नहीं हैं । उन लोगों की दृष्टि में यह आवश्यक है जिन्होंने योजना के ऊपर लिखी गई पाठ्य पुस्तकें पढ़ी हैं । मेरे विचार में देश की वर्तमान

[श्री नन्दा]

परिस्थितियों में वैसी योजना बनाना अधिक योजना बनाना कहलायगा । इस समय हमें उन सब बातों की आवश्यकता नहीं है । योजना बनाने का वैसा आधार तैयार करने में कई वर्ष लग जायेंगे । उस अवधि में सम्भव है हम कई मूल्यवान अवसर खो बैठें ।

अब मैं जनता के सहयोग के बारे में कहूंगा यह बहुत महत्वपूर्ण है । अधिक एक मत तथा जनता के अत्यधिक सहयोग द्वारा ही इस प्रकार की योजना सफ़ल बन सकती है । यह हम से बार बार कहा गया है कि हमें जनता से सहयोग प्राप्त नहीं होगा । क्यों ? यह कहा गया है कि हमारा प्रशासन ही ऐसा है कि लोग उसके कारण उत्साह नहीं दिखलाते तथा जनता और शासकों में विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है । भ्रष्टाचार के विषय में अधिक बातें कही गई थीं । हम मानते हैं कि देश में कुछ भ्रष्टाचार है तथा उसे समाप्त कर देना चाहिये जिससे कि जनता में विश्वास उत्पन्न हो जाये । योजना में इसके उपर पूरी तरह से विचार किया गया है । इसके लिये बहुत से उपाय तथा सुझाव दिये गये हैं । जनता और प्रशासकों के कारण जो भ्रष्टाचार होता है वह एक बात है । दूसरे प्रकार का भ्रष्टाचार वह है जिसमें पदाधिकारियों को घूंस नहीं दी जाती अपितु पदाधिकारी राज्यकोष से ग़बन कर लेते हैं। इसके कुछ उदहारण यहां दिये गये थे तथा उनका स्पष्टीकरण मांगा गया था । उन से अभी मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । अभी मैं केवल यह बताना चाहूंगा कि उस प्रकार का भ्रष्टाचार अधिक हो तथा उसे मिटाने की बड़ी आवश्यकता हो परन्तु इस प्रकार का भ्रष्टाचार उतना अधिक नहीं है जितना यहां कल बतलाया गया था । जिन लोगों का इससे सम्बन्ध है उनके पक्ष में मैं इतना कहना चाहता था ।

प्रशासन की दक्षता के बारे में बताने के लिये मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता । मैं इतना कहना चाहता हूं कि उस समस्या का पर्याप्त अध्ययन किया गया है । तथ्य बहुत सी सिफारिशें की गई हैं । इनसे प्रशासन की दक्षता का स्तर ऊंचा हो जायेगा । मैं इस बात के लिये समय न लूंगा । मैं अब अधिक महत्वपूर्ण बात को लूंगा जो सदन में उठाई गई थी । हम जनता में कैसे उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं । मुझे समझ में नहीं आया कि ग़लती कहां पर है और हम लोगों में उत्साह क्यों नहीं उत्पन्न कर सकेंगे यदि वैसा करने की हमारी इच्छा होगी । योजना की सारी बात यह है कि लोगों की आवश्यकता की पूर्ति अच्छी तरह से हो सकेगी । यदि एक अभावग्रस्त देश जिसे अन्न के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है वह यदि अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य बनाये तो यह छोटी बात नहीं है । सिंचाई के साधन होने पर लाखों किसानों में खेती करने का उत्साह आयेगा । लघु तथा वृहत् सिंचाई के साधनों से जितने एकड़ भूमि सींची जा सकेगी उसके आंकड़े यहां दिये गये है । उससे उत्पादन बढ़ेगा । इससे केवल खेती में ही प्रत्यक्ष रूप से ही सेवा नियोजन नहीं बढ़ेगा अपितु अधिक कच्चा माल होने से अन्य उद्योगों में छोटे-बड़े कारख़ानों में तथा तृतीय क्रम के क्षेत्र में भी सेवानियोजन बढ़ेगा । यह छोटी बात नहीं है । यदि हम लोगों को ठीक प्रकार से बतलायेंगे तो वे समझ जायेंगे क्योंकि वह उनके लिये है तथा उसका उन पर क्या असर पड़ेगा । उनसे अपील करने का प्रश्न है तथा उसके प्रभाव को बतलाने का प्रश्न है । जब वह बात सामने आयेगी तब वे देखेंगे परन्तु उसके पहले जो प्रयास किये जा रहे हैं उन्हें वास्तविकता के विषय में भ्रांत कथन कर नष्ट नहीं होने दिया जाना चाहिये ।

जन सहयोग के बारे में यह कहा गया था कि यह राष्ट्रीय योजना नहीं है। इस बात पर बोलने के पहले मैं भारत सेवक समाज के कठिन प्रश्न के विषय में कहूंगा। बार बार माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें कही हैं जो अनुचित और अवास्तविक थीं तथा उनका प्रस्तुत विषय से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह कहा गया है कि भारत सेवक समाज को सरकार से पैसा मिला है। उसे कुछ नहीं मिला है। वास्तव में हमारे पास कोई पैसा नहीं है। यह कहा गया है कि इस योजना के अनुसार भारत सेवक समाज को चार करोड़ रुपये दिये जायेंगे। यह बात योजना में कहीं पर भी नहीं दी गई है। समाज कल्याण के लिये नियत की गई राशि किसी भी संस्था के द्वारा व्यय की जा सकती है संस्थायें कई हो सकती हैं। जो जिस काम के लिये उपयुक्त होगी वह चुनी जायेगी। (**अन्तर्बाधा**)।

उपाध्यक्ष महोदय: पांच दिन तक विवाद हो चुका है। वे अब कृपया अन्तर्बाधा न करें।

श्री नन्दा: मेरी उपस्थिति में जो प्रश्न उठाये गये थे उन्हें मैं ने देखा है। मैं ने उनका वृत्तान्त भी पढ़ा है। मैं सब प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं ?

यह कहा गया है कि भारत सेवक समाज कांग्रेस की सहायक संस्था तथा उसकी मित्र है और वह वास्तव में अराजनैतिक संस्था नहीं है। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने यह उचित बात कही कि उस संस्था के जिन लोगों से उन्हें वास्ता पड़ा है वे भारत सेवक समाज को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं। आरोप यह लगाया जा रहा है कि महत्वपूर्ण पदों पर कांग्रेस के लोग ही हैं तथा इस संस्था का उद्देश्य कांग्रेस के प्रभुत्व को बढ़ाना है। ये विस्तार की बातें हैं। यह बात यहां उठाई गई थी इसलिये मैं ने उसकी चर्चा की। इस संगठन को स्थापित करने के पहले उन सब दलों से संयोजकों के नाम प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था जो इसमें सहयोग देना चाहते थे। मैंने खुद कई बार उन लोगों के नाम मांगे जो इस काम में लाये जा सकते थे। पर उस समय लोगों ने निश्चय नहीं किया तथा उन लोगों के नामों के विषय में कोई सुझाव नहीं दिये गये जो इस काम के लिये चुने जा सकते थे। अभी भी विभिन्न राज्यों में संयोजकों के नामों की सूची ली जा सकती है। उन में बहुत सक्रिय कांग्रेसी प्रायः नहीं हैं। कुछ अवश्य है क्योंकि दूसरे लोग मिले नहीं। इसके लिये क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं है।

भारत सेवक समाज के विषय में मेरा नम्र निवेदन है कि उसे कुछ अवधारणाओं पर व्यर्थ घोषित न किया जाये। राजनीति तथा शासन से पृथक् ऐसे संगठन की देश को आवश्यकता है। वह ऐसा रचनात्मक कार्य करेगा जिसमें सब दल मिल कर काम कर सकते हैं। यदि लोकतन्त्र में हम यह नहीं कर सकेंगे तो हम लड़ते रहेंगे। यदि रचनात्मक कार्यों को करने के लिये हम मेल न कर सकेंगे तो लोकतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा। यदि रचनात्मक प्रयोजनों के लिये सबका सहयोग प्राप्त न हो सकेगा तो बात दूसरी हो जायेयी। परन्तु तथ्यों को देखते हुये इस प्रकार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। (**अन्तर्बाधा**)।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : चोर की दाढ़ी में तिनका।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी विभिन्न उठाई गई बातों का उत्तर दे रहे हैं। उन के सारे तर्क माननीय सदस्य के विरोध में नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री नन्दा: यह कहा गया था कि यह योजना राष्ट्रीय नहीं है। यह केवल राज-

[श्री नन्दा]

नीतिक चाल है । यह कांग्रेस दल की योजना है । इस योजना के बनाने को जिन लोगों ने सहायता दी है उनके मस्तिष्क में कोई संकीर्ण राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं था । किसी दल के स्वार्थों की पूर्ति करने के लिये यह योजना नहीं बनाई गई है । मुझे समझ में नहीं आता कि यह प्रश्न क्यों और कहां उठता है क्योंकि जिन बातों का आयोजन यहां किया गया है वे अच्छी हैं तथा उन बातों को अधिक मात्रा में चाहा जा रहा है । इसमें किसी दल के स्वार्थ का कहां पर प्रश्न उठता है ? यदि योजना की अधिकांश बातों से कोई असहमत नहीं होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता कि कांग्रेस दल का भिन्न तथा विशिष्ट दृष्टिकोण है जो इस योजना के कार्यान्वित करने में लागू किया जायगा । यह राष्ट्रीय योजना है क्योंकि सारे राष्ट्र की आवश्यकताओं का ध्यान रख कर ही इसे बनाया गया है । दूसरी बात यह है कि यह प्रकाशित की गई थी, इसकी सूचना देश के सारे भागों में भेजी गई थी । इसके विषय में जो प्रतिक्रिया हुई, मत तथा सुझाव आये उनसे देश के लोगों के विचारों की झलक मिलती है । योजना का प्रारूप बनने और अन्तिम योजना बनने के बीच की अवधि में बहुत से लोगों से सलाह ली गई थी उनमें वे सदस्य भी शामिल थे जिन्होंने उस प्रकार के भाषण दिये । उनके विचारों को योजना में पूर्ण स्थान नहीं मिला है । माननीय सदस्य योजना के प्रारूप और अन्तिम योजना की रूपरेखा और विषयों की जांच करें । इस अवधि में विभिन्न मतों और विचारों का योजना पर जो प्रभाव पड़ा वह स्पष्ट हो जायेगा । उनके खुद के सुझाव भी उसमें पाये जायेंगे ।

श्री नम्बियार: सारे भूमिगत ।

श्री नन्दा: योजना में प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक सुझाव को सम्मिलित नहीं किया जा सकता । उस आधार पर कोई योजना नहीं बनायी जा सकती । एक दल में भी प्रत्येक दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतएव जहां तक बना प्रत्येक दृष्टिकोण का ध्यान रखा गया । जब इस योजना की आलोचना की गई तब ऐसी कोई बात नहीं बताई गई जो उन सदस्यों के मत के विरुद्ध हो जिन्होंने वाद विवाद में भाग लिया है ।

मेरे विचार में अब लोग उकता गये होंगे अतएव मैं अधिक समय नहीं लूंगा । बहुत सी बातें उठाई गई थीं जिनके उत्तर मांगे जा रहे हैं । मैं उत्तर दे सकता हूं परन्तु अब मैं सदन का समय नहीं लूंगा । फिर कभी देखा जायेगा ।

अन्त में मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को परिपूर्ण कह कर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है । यह परिपूर्ण नहीं है । इसमें कई दोष हैं । हमें वे मालूम हैं । वर्तमान परिस्थितियों को देख कर कुछ दोषों को मिटाना कठिन है । हां, योजना को सुधारने का सदैव प्रयत्न किया जायगा । यह तो योजना की रूपरेखामात्र है । यह सम्भव है कि प्रत्येक मनुष्य इसकी विभिन्न छोटी छोटी बातों से सहमत न हो सके । समयान्तर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जायेंगे वैसे वैसे कई बातें ठीक की जा सकती हैं । जो लोग देश की अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना में सहयोग देना चाहते हैं उन्हें काफ़ी काम करने के लिये पर्याप्त समय मिलेगा । यह न दिखाऊ योजना है न बहुत बड़ी ही । यह बात सच है । फिर भी यह काफ़ी बड़ी है । जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था यह योजना सरल नहीं है । इसे कार्यान्वित करने में हम सब को बहुत श्रम करना पड़ेगा । जो काम हमें करना है और जो लक्ष्य हम ने

निर्धारित किये हैं वे छोटे नहीं हैं । उन लक्ष्यों को पूरा करने में हम सब को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी । योजना के उद्देश्य और प्रस्ताव संकीर्ण दलबन्दी की भावना से प्रेरित हो कर नहीं बनाये गये थे । यह योजना ईमानदारी से बनाई गई है । मैं यह बात पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि यह सीधी तथा स्पष्ट योजना है । यह हो सकता है कि शीघ्र ही इससे हमें कोई बड़ा आर्थिक लाभ न हो । फिर भी इससे कुछ आर्थिक लाभ होता ही है । परन्तु मुख्यतया हमारा ध्यान भविष्य की ओर है । कुछ समय के पश्चात् इस योजना द्वारा देश का भविष्य उज्ज्वल हो जायेगा । हम अल्प विकसित देशों की श्रेणी में नहीं रहेंगे । इस योजना के द्वारा कुछ सालों के पश्चात् हम पूर्ण विकसित देश बन जायेंगे । अगले तीन सालों के बाद हम जो बातें करने की आशा करते हैं उनके हो जानें पर हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे । तीन साल बड़ी अवधि नहीं होती । विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों से मेरी अपील है कि इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में प्रत्येक को पूर्ण सहयोग देना चाहिये । इस समय मुझे डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण हो आया है क्यों कि उन्होंने एक विशेष बात कही थी । उन्होंने कहा था कि योजना में कोई जान नहीं है, प्रधान मंत्री उस में जान डालें । इस प्रकार की योजना में एक व्यक्ति जान नहीं डाल सकता । जब हम सब मिल कर काम करेंगे तब योजना में जान आयेगी । मैं योजना को जनता के हाथों में सौंपता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य अपने संशोधन अलग रखना चाहते हैं उनको छोड शेष सब सदस्यों के संशोधनों पर मत लिया जायेगा ।

श्री गिडवानी, कुमारी आनी मस्करीन, श्री टी० के० चौधरी और श्री वी० जी० चौधरी ने प्रार्थना की कि उनका संशोधन अलग से प्रस्तुत किया जाये । श्री चिनारिया अपने संशोधन के विषय में कुछ कहना चाहते थे पर उन्हें अवसर नहीं दिया गया पंडित अलगूराय शास्त्री और श्री चिनारिया ने अपने संशोधन वापिस लिये ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने श्री एस० सी० सिंघल, श्री वल्ला तरास, श्री एच० एन० मुखर्जी, श्री बोगावात, श्री पोकर साहेब, श्री लोकनाथ मिश्र, श्री चिनारिया, श्री एस० वी० एल० नरसिंहन, श्री माधव रेड्डी, श्री वल्ला तरास, श्री पटनायक, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री टेकचन्द, श्री के० सुब्रह्मण्यम, श्री टी० के० चौधरी और अन्य सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत किये । वे अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि:

> "योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना के सिद्धान्तों उद्देश्यों और विकास के कार्य-क्रमों का सदन अनुमोदन करता है ।"

सदन में मतविभाजन हुआ । पक्ष में २८६ और विपक्ष में ६२ मत आये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे दो घोषणायें करनी हैं । प्रथम तो यह कि दक्षिण महाराष्ट्र के दुर्भिक्ष के विषय में आधे घंटे की चर्चा के लिये मुझे सूचना मिली है । खाद्य तथा कृषि मंत्री कल यहां उपस्थित न हो सकेंगे । उस चर्चा के महत्व को देखते हुये मैं उसे आज सामान्य कार्यवाहियों के समाप्त होने पर लूंगा ।

दूसरी घोषणा यह है कि आज ३-१५ म० प० को मध्यान्ह भोजन के पश्चात् होने वाली बैठक में प्रधान मंत्री जी आंध्र राज्य

[उपाध्यक्ष महोदय]

के निर्माण सम्बन्धी अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर में एक वक्तव्य देंगे ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये सवा तीन बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सदन की बैठक सवा तीन बजे पुनः समवेत हुई ।

उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे

परिसीमन आयोग विधेयक

३–१९ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : १० दिसम्बर, १९५२ को श्री सी० सी० बिस्वास ने निम्न-लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । सदन उस पर आगे विचार करेगा :

> "लोक-सभा और राज्य के विधान मंडलों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के समायोजन का तथा अन्य सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक का जिस रूप में प्रवर समिति ने प्रतिवेदन किया है उस पर विचार किया जाये ।"

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरी दक्षिण) : परिसीमन आयोग के गठन की कुछ माननीय सदस्यों ने कड़ी आलोचना की है । मैं उससे सहमत नहीं हूं। यह कहा गया है कि न्यायाधीश परिसीमा सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में ठीक मत न दे सकेंगे। मुझे यह सुन कर आश्चर्य होता है । अनुभवी न्यायाधीश इन प्रश्नों पर ठीक मत अवश्य ही दे सकेंगे ।

खंड ८(ख) के बारे में मेरा कहना यह है कि इससे अनुसूचित जातियों और हरिजनों के साथ अन्याय हो जायेगा । अभी भी लोगों को जाति का ध्यान रहता है । यदि हरिजन एक सदस्य वाले निर्वाचनक्षेत्र में रखा जायेगा तो उसे कठिनाई होगी । यदि वह दो सदस्य वाले निर्वाचनक्षेत्र में रखा जाये तो उसका चुनाव सरल हो जायगा तथा अन्य जातियों के लोगों को भी हरिजन सदस्य को मत देने की प्रेरणा होगी ।

खंड ८(१) (ङ) में कहा गया है कि यथाशक्य सब निर्वाचनक्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से गठे हुये क्षेत्र होंगे । अभी चुनाव के समय सदस्यों को आने जाने में कष्ट होता है । यदि निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से गठे भी हुये हों तो भी कठिनाई यह होती है कि वे प्रशासन क्षेत्रों की सीमाओं के समान ही नहीं होते । यदि दोनों प्रकार के क्षेत्रों की सीमायें एक हो तो बड़ी सरलता हो जाये । मेरा सुझाव है कि निर्वाचनक्षेत्रों और प्रशासनक्षेत्रों की सीमाओं को निश्चित करने का काम एक साथ लिया जाये । इससे ऐसे निर्वाचन क्षेत्र बनाये जा सकेंगे जो साथ में प्रशासनक्षेत्र भी हों ।

खंड (८) (३) (ग) में यह बताया गया है कि सब आपत्तियों और सुझावों पर आयोग विचार करेगा ।

इस विषय में हमें बड़ा खराब अनुभव है । पिछले समय जब परिसीमन आयोग ने निर्वाचनक्षेत्र बनाये थे तो उनकी सूचना किसी अप्रसिद्ध स्थान में टांग दी थी । मैं एक ज़िले की कांग्रेस समिति का सभापति था फिर भी मुझे उसका पता नहीं चला । अतएव मेरा सुझाव यह है कि इन बातों के लिये जब आयोग की बैठक हो तब उसकी सूचना उचित प्रकार से जनता को दी जाये तथा जो बातें तय हों उनका ठीक प्रकार से प्रकाशन हो तथा वे ठीक प्रकार से घोषित की जायें ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधेयक पर खंडशः विचार करेंगे।

खंड २—(व्याख्यायें)

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १ में ११वीं पंक्ति के पश्चात् यह रख दीजिये:

"(ङ) 'सम्बद्ध सदस्य' ('associate member') का अर्थ धारा ५ के अधीन नाम-निर्देशित सदस्य है।"

उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वह स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खंड २ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ३—(परिसीमन आयोग का संगठन)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

(१) पृष्ठ १, पंक्ति १५ में—

"३ सदस्यों" के स्थान पर "५ सदस्य" कर दीजिये।

(२) पृष्ठ १, पंक्ति १६ में—

"दो सदस्य" के स्थान पर "चार सदस्य" कर दीजिये।

(३) पृष्ठ १, पंक्ति १६ और १७ में—

"या थे" ("or has been") शब्द हटा दीजिये।

श्रीमान् जी परिसीमन-कार्य महत्वपूर्ण होता है। उसके लिये ३ सदस्य पर्याप्त नहीं होंगे। मेरे विचार में आयोग के पांच सदस्य होने चाहियें।

दूसरा संशोधन, पहले संशोधन के परिणामस्वरूप ही करना पड़ रहा है।

मेरे तीसरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि सेवानिवृत्ति न्यायाधीश आयोग के सदस्य नियुक्त न किये जायें क्यों कि उन पर दबाव डाला जा सकता है। यदि वे शब्द निकाल दिये जायेंगे तो केवल उन न्यायाधीशों को ही नियुक्त किया जा सकेगा जो सेवानिवृत्त नहीं हुये हैं। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में पर्याप्त न्यायाधीश हैं।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : श्रीमान् जी, मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता। यह प्रस्ताव पहले से ही है कि परिसीमन आयोग में प्रत्येक राज्य से सम्बद्ध सदस्य रहेंगे जो उस राज्य सम्बन्धी कार्य करने में सहायता देंगे। हम सम्बद्ध सदस्यों की संख्या बढ़ाने वाले हैं। यदि आयोग में दो न्यायाधीश और निर्वाचन आयुक्त हुये तो वे पर्याप्त होंगे। इतने न्यायाधीश मिलना भी कठिन होगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को रखना पड़ेगा। सेवायुक्त न्यायाधीशो का मिलना कठिन है। तथ्य तो यह है कि संविधान में तदर्थ या अस्थायी न्यायाधीशों को नियुक्त करने का उपबन्ध नहीं है। अतएव उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश दूसरे कामों के लिये अपने न्यायाधीश नहीं देना चाहते। इसका परिणाम यह होता है कि हमें बहुधा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्यथा उच्च न्यायिक योग्यता वाले लोग हमें नहीं मिल सकते। मुझे खेद है कि मैं ये संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

खंद ३ विधेयक में जोड़ा गया ।

खंड ४--(आयोग के काम)

श्री बर्मन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १,

(१) पंक्ति २६ में ["other than Jammu and Kashmir"] ["जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर"] ये शब्द हटा दिये जायें ; और

(२) पंक्ति २७ के बाद यह जोड़ दीजिये :

"Provided that duty of the Commission shall not extend to the state of Jammu and Kashmir"

["परन्तु यह कि आयोग जम्मू और काश्मीर सम्बन्धी काम नहीं करेगा"]

विधेयक में जहां कहीं भी भाग ख के राज्यों की चर्चा आती है वहां पर बार बार यह कहना पड़ता है कि "जम्मू और काश्मीर को छोड़ अन्य राज्य" । मैं चाहता हूं कि एक स्थान में यह कह दिया जाय कि आयोग के कामों का सम्बन्ध जम्मू और काश्मीर से नहीं होगा । ऐसा कहने से उसी बात को बार बार दुहराने की कठिनाई मिट जायगी ।

श्री एस० एन० दास (दरभंगा मध्य) : खंड ४ के लिये मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ १, पंक्ति २६--"जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर अन्य" के स्थान में रख दीजिये :

"ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिये ।"

(२) पृष्ठ १ में पंक्ति २७ के बाद यह रख दीजिये :

"परन्तु जम्मू और काश्मीर के विधान मण्डल में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का समायोजन करने के लिये आयोग काम नहीं करेगा ।"

पहले जम्मू और काश्मीर विधान मण्डल ने अपने प्रतिनिधि चुने थे जो बाद में राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किये गये थे । अब वे सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने चाहियें । इस उद्देश्य से मैं इस विधेयक के क्षेत्र को सीमित करना चाहता हूं जम्मू और काश्मीर के लोगों के सामने कोई ऐसी बात न होनी चाहिये जो उन्हें लोक-सभा में अपने सदस्य भेजने से रोके । मैं चाहता हूं कि यह परिसीमन आयोग विधेयक जम्मू और काश्मीर पर भी लागू होना चाहिये ।

श्री बिस्वास : प्रस्तुत परिसीमन विधेयक, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० के भाग २, धारा ४ के आधार पर बनाया गया है । मैं वह धारा पढ़ूंगा । धारा ३ में यह उपबन्ध है कि लोक-सभा की सीटें प्रथम अनुसूची के अनुसार नियत की जायेंगी । प्रथम अनुसूची में भाग क, ख और ग राज्यों के नाम आते हैं । भाग ख में जम्मू और काश्मीर भी शामिल है तथा उसके लिये ६ सीटें नियत हैं । धारा ४ में यह दिया गया है कि धारा ३ के अनुसार जम्मू और काश्मीर को जो सीटें नियत की गई हैं वे राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति को दी जायेंगी । इसके

सिवा लोक-सभा की सब सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जायेंगी। उस आधार पर यह विधेयक बनाया गया है। इसलिये यदि यह खंड संशोधित नहीं किया जाता तो हम प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते। यह विधेयक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन करने के लिये समक्ष नहीं लाया गया है। मैं ने जम्मू और काश्मीर का संविधान नहीं पढ़ा है इसलिये मुझे नहीं मालूम कि उस में इस विषय सम्बन्धी कोई उपबन्ध है अथवा नहीं। मेरे विचार में इन बातों को हम ज्यों का त्यों छोड़ सकते हैं यदि यह तय हो जायगा कि ये सीटें राष्ट्रपति के नामनिर्देशन से न भरी जायें तो हम इन परिवर्तनों को कर देंगे। परन्तु वास्तव में तो ये सदस्य चुने ही जाते हैं तथा उसके पश्चात् उनके नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं जो उन व्यक्तियों को नामनिर्देशित करता है। इन परिस्थितियों के कारण मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

श्री एस० एन० दास: माननीय मंत्री जी ने कहा कि.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को उत्तर देने का अधिकार नहीं है।

श्री एस० एन० दास: मैं यह कहना चाहता हूं कि जब जम्मू-काश्मीर की संविधान सभा संविधान बनाये तब भारत की संसद को यह अधिकार रहे कि जम्मू और काश्मीर का लोक-सभा में किस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: यह सुझाव पहले दिया जा चुका है।

श्री बिस्वास: बात यह है कि जहां कहीं भी भारतीय संविधि का ज़िक्र उठता है तो सामान्यरूप से यह कहा जाता है—"जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर" इसमें भी इसी सूत्र का उपयोग किया गया है।

श्री ग़ुलाम क़ादिर (जम्मू तथा काश्मीर): यह उपबन्ध काश्मीर की उस एक तिहाई भूमि के लिये है जो शत्रुओं के हाथ में है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य कहते हैं कि एक तिहाई भूमि शत्रुओं के हाथ में है अतएव इस समय परिसीमन करना ठीक न होगा। मैं समझता हूं कि इन संशोधनों पर ग़ौर नहीं डाला जा रहा है।

श्री बर्मन: जी नहीं।

श्री एस० एन० दास: जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खंड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ५—(सम्बद्ध सदस्य)

उपाध्यक्ष महोदय: एक संशोधन श्री बर्मन का है। वह पहले के समान ही है।

श्री बिस्वास: क्या मैं खंड ५ के अपने संशोधन को प्रस्तावित करूं?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी को कहना चाहिये कि वे अपने संशोधन को प्रस्तुत करना चाहते हैं अथवा नहीं।

श्री बिस्वास: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ २ पंक्ति ६ से १९ के स्थान में यह रख दिया जाये:

[श्री विश्वास]

"itself from that state, if its population according to the latest census figures —

(a) is not less than ninety lakhs—seven persons, three of whom shall be members of the House of the People representing that state and four shall be members of the Legislative Assembly of that state;

(b) is less than ninety lakhs, but not less than twenty lakhs—five persons, two of whom shall be members of the House of the People representing that state and three shall be members of the Legislative Assembly of that state;

(c) is less than twenty lakhs and the state has a Legislative Assembly—three persons, one of whom shall be a member of the House of the People representing that state and two shall be members of the Legislative Assembly of that state; and

(d) is less than twenty lakhs and the state has no Legislative Assembly—two persons who shall be the members of the House of the People representing that state."

("उस राज्य से यदि उसकी जन-संख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार—

(क) ९० लाख से कम नहीं है—७ व्यक्ति होंगे जिन में ३ लोक-सभा के सदस्य होंगे तथा वे उस राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और ४ उस राज्य के विधान-मंडल के सदस्य होंगे;

(ख) ९० लाख से कम है परन्तु २० लाख से कम नहीं है—५ व्यक्ति होंगे जिन में से २ लोक-सभा के सदस्य होंगे तथा वे उस राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे और ३ उस राज्य के विधान-मंडल के सदस्य होंगे;

(ग) २० लाख से कम है तथा उस राज्य में विधान-मंडल है—३ व्यक्ति होंगे जिनमें से एक लोक-सभा का सदस्य होगा तथा उस राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा और दो उस राज्य के विधान-मंडल के सदस्य होंगे; और

(घ) २० लाख से कम है तथा उस राज्य में विधान-मण्डल नहीं है— २ व्यक्ति होंगे जो लोक-सभा के सदस्य होंगे और उस राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे"।)

श्रीमान्, यदि आप उस खंड को देखें जिसे प्रवर समिति ने बनाया है तो आपको मालूम पड़ेगा कि चार श्रेणी के राज्य वहां पर दर्शाये गये हैं। प्रश्न यह है कि विभिन्न राज्य से

परिसीमन आयोग के साथ कितने सम्बद्ध सदस्य लिये जायेंगे। राज्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है भाग क, ख, और ग राज्य जहां पर विधान-मंडल है तथा वे भाग ग राज्य जहां पर विधान-मंडल नहीं है। कई सदस्यों ने मुझे बतलाया कि राज्यों की जन-संख्या को देखते हुए इस रीति से उनके साथ न्याय नहीं हो पाता। उदाहरणार्थ आसाम भाग क राज्य है तथा उसकी जन-संख्या ९०.४४ लाख है। चार ऐसे भाग ख राज्य हैं जिन की जन-संख्या आसाम से अधिक है। हैदराबाद की जन-संख्या १८६.५५ लाख है। मैसूर की जन-संख्या ९०.७५ लाख है। राजस्थान की जन-संख्या १५२.९१ लाख है। त्रावण-कोर-कोचीन की जन-संख्या ९२.८० लाख है। शिकायत यह है कि भाग ख के इन राज्यों की जन-संख्या भाग क के एक राज्य से अधिक है इसलिये यह ठीक नहीं है कि इन भाग ख राज्यों का प्रतिनिधित्व भाग क राज्यों से कम हो। इस लिये मैं ने इन चार श्रेणियों को रहने दिया है। भाग क, ख, ग राज्य जिन में विधान-मंडल हैं तथा भाग ग राज्य जिन में विधान-मंडल नहीं हैं, यह कहने के स्थान में मैं ने जन-संख्या को आधार माना है। भाग क राज्यों की अल्पतम जन-संख्या मैं ने ९० लाख मानी है। इस सूत्र के अनुसार क श्रेणी में सारे भाग क के राज्य तथा भाग ख के ४ राज्य अर्थात् हैदराबाद, मैसूर, राजस्थान और त्रावणकोर-कोचीन आ जायेंगे जिन की जन-संख्या आसाम की जन-संख्या ९०.४४ से अधिक है। जहां तक तीसरी और चौथी श्रेणी का प्रश्न है मेरे विचार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ सदस्यों ने जो उचित शिकायत की थी उसको मिटाने के लिये मैं ने यह नया सूत्र निकाला। इस से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। सम्बद्ध सदस्यों की ख्या कुछ और अधिक हो जायेगी--अर्थात् चार ख राज्यों में पांच के स्थान में सात सदस्य होंगे।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त संशोधन औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन): इस संशोधन संबंधी मेरा एक संशोधन है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री बिस्वास के संशोधन में भाग (क) और (ख) में जहां जहां '९० लाख' शब्द आये उसके स्थान में ७५ लाख रख दिया जाये।

विधि मंत्री जी के संशोधन से एक ग़लती मिट जायेगी और भाग ख के जिन राज्यों की जन-संख्या भाग क के कुछ राज्यों से अधिक है उनको सम्बद्ध सदस्यों के विषय में समानता प्राप्त होगी। काश्मीर को छोड़ शेष सात भाग ख राज्यों में से दक्षिण भारत के सब राज्यों को सात सात सम्बद्ध सदस्य होंगे। उत्तर भारत में केवल राजस्थान को यह सुविधा मिलेगी। मध्य भारत की जन-संख्या ७९,५४,१५४ है। मैं विधि मंत्री से अपील करूंगा कि वे थोड़े और उदार हो जायें जिस से कि इसे भी वह सुविधा मिल जाये। जिन और राज्यों में ५ सदस्य होंगे उनकी जन-संख्य में और मध्यभारत की जन-संख्या में बड़ा भेद है। इस की जन-संख्या उन राज्यों की जन-संख्या के अधिक सन्निकट है जिन्हें सात सम्बद्ध सदस्य मिलेंगे। विधि मंत्री प्रसिद्ध उच्च न्यायाधीश रह चुके हैं। वे मध्यभारत के साथ अवश्य ही न्याय करेंगे।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर): मैं भी इस अपील का समर्थन करता हूं।

श्री बिस्वास: मुझे विश्वास है कि यदि मैं स्पष्ट.....

उपाध्यक्ष महोदय: क्या मंत्री जी संशोधन स्वीकार करते हैं?

श्री बिस्वास: यदि मैं समझा हूं कि मैं ने किस आधार पर क श्रेणी के लिये ९० लाख

[श्री बिस्वास]

जन-संख्या निश्चित की है तो मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र अपने संशोधन पर ज़ोर न देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ये तो केवल सम्बद्ध सदस्यों के लिये ही है।

श्री बिस्वास : यह केवल सम्बद्ध सदस्यों लिये है परन्तु फिर भाग क और ख का भेद को मिटा कर सब को समान बना दीजिये और कहिये कि भाग क और ख राज्यों में सात सात सदस्य होंगे। परन्तु यदि उन दोनों में आप भेद करना चाहते हैं तो आप को वह करना होगा जो मैं ने किया है। भाग क का सब से छोटा राज्य ले लीजिये। आसाम सब से छोटा राज्य है। उन की जन-संख्या ९०.४४ लाख है। इस लिये मैं ने कहा कि जिन भाग ख राज्यों की जन-संख्या इस से अधिक है उन के साथ वही व्यवहार किया जायगा जो भाग क राज्य के साथ किया जाता है। मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि भाग ख के अधिक से अधिक राज्य इस में सम्मिलित किये जायें। ९० लाख जन-संख्या को मैं ने आधार माना क्योंकि वह भाग क के सब से छोटे राज्य की आबादी है। इस के बाद मैं ने यह निश्चय किया कि जिन भाग ख राज्यों की जन-संख्या इस से अधिक होगी उन के साथ समान व्यवहार किया जायेगा, इस लिये उन्हें प्रथम श्रेणी में रखा गया। परिणाम यह हुआ कि भाग ख के आठ राज्यों में से ४ राज्य इस श्रेणी में आ गये मेरे मित्र ने सुझाव दिया कि मध्य भारत को भी इसी श्रेणी में रखा जाये। पर शेष ३ को क्यों छोड़ा जाये? मैं यह बात मान सकता हूं कि भाग क और ख राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाये। इस से विशेष कोई भेद नहीं पड़ता कि सदस्यों की संख्या ५ रह अथवा ७। वे केवल सम्बद्ध सदस्य रहेंगे और उन्हें मताधिकार नहीं रहेगा। भाग क और ख राज्यों के साथ समान व्यवहार करने की बात मैं समझ सकता हूं। परन्तु जिस आधार पर मैं ने अपना संशोधन रखा है वह मैं ने आप को बतला दिया है। इस के बाद यदि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर ज़ोर देना चाहें तो मैं उसे सदन पर छोड़ दूंगा।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : इस संशोधन के लिये हम विधि मंत्री का आभार मानते हैं। मैंने जो संशोधन रखे हैं उन में ५० लाख का सुझाव दिया है। परन्तु जिस आधार पर मंत्री जी ने ९० लाख निश्चित किया है वह अब समझ में आ गया है। उनका विचार है कि भाग क के सब से कम जन-संख्या वाले राज्य को आधार माना जाये। यह सिद्धान्त हमें मंजूर है। हमें प्रत्येक बात में भाग क, ख और ग राज्यों में भेद न करना चाहिये यदि संविधान के अनुसार वैसा करने के लिये हम बाध्य न हों। श्री राधेलाल व्यास की तरह मैं भी अपील करता हूं। यह अपील मध्य भारत के लिये है।

विन्ध्य प्रदेश के समान बड़ा राज्य भाग ग राज्य माना जाता है। परन्तु उसकी जन-संख्या २० लाख से अधिक है इसलिये कोई प्रश्न नहीं उठता। उसे ५ सदस्य मिलेंगे। मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे ५० लाख को आधार मानें। यदि वे इसे न मानें तो ६० या ७५ लाख को आधार मान सकते हैं। भाग क के छोटे राज्य की जन-संख्या को आधार मानना मुझे उचित नहीं लगता।

४ म० प०

श्री बिस्वास : उससे कोई भेद नहीं पड़ेगा।

श्री हेडा : पड़ेगा।

श्री बिस्वास : ७० और ५० एक ही बात है। आप ५० पर क्यों ज़ोर डालते हैं। श्री व्यास का संशोधन पर्याप्त होगा।

श्री हेडा : अभी कोई भेद नहीं पड़ता परन्तु भविष्य में कई राज्यों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है।

श्री बिस्वास : कोई नया भाग ख राज्य नहीं आयेगा ।

श्री हेडा : ९० लाख बहुत अधिक है । ७५ या ५० लाख रखिये । मैं श्री व्यास का समर्थन करता हूं और अपील करता हूं कि संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं भी अपील . . . .

श्री बिस्वास : मैं कह चुका हूं कि मुझे आपत्ति नहीं है । मैं इस बात को सदन पर छोड़ता हूं । इस से यह होगा कि भाग क के सब से बड़े राज्य और भाग ख के सब से छोटे राज्य में बड़ा भेद होगा और उन दोनों को सात सदस्य मिलेंगे । भाग क का सब से बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जिस की जन-संख्या ६३२ लाख है । वह उस राज्य के बराबर समझा जायेगा जिस की जन-संख्या ७५ लाख है । फिर भी मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं इस बात को सदन पर छोड़ता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे : प्रश्न यह नहीं है कि अन्य भाग ख के राज्यों के साथ आसाम के समान व्यवहार किया जाये । आसाम की जन-संख्या ९०लाख है और हमें यह प्रतीत होता है कि ७० लाख की आबादी वाला राज्य इस श्रेणी में आता है । जिस तरह आसाम के साथ उत्तर प्रदेश के समान व्यवहार किया जा सकता है उसी तरह भाग ग के विन्ध्य प्रदेश राज्य के साथ भाग ख के समान व्यवहार किया गया है । २० लाख की आबादी वाले राज्य को ७० लाख की आबादी वाले राज्य के बराबर बनाया गया है । ७० लाख की आबादी वाले राज्य के साथ वह व्यवहार हो जो भाग क के राज्यों के साथ होगा । ७५ या ५० लाख की आबादी को आधार माना जाये जिस से कि मध्य भारत पहले वर्ग में आ जाये ।

इसके पष्चात् श्री हेडा ने औपचारिक रूप से अपना संशोधन प्रस्तुत किया ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ २,

(क) पंक्ति १० में "पांच व्यक्तियों में से दो" के स्थान पर "सात व्यक्तियों में से चार" कर दीजिये, और

(ख) पंक्ति ११ और १२ में "३ विधान-मण्डल के सदस्य होंगे" के स्थान में "चार विधान-मण्डल के सदस्य होंगे" कर दीजिये ।

(२) पृष्ठ २ में पंक्ति २७ से २९ के स्थान पर यह रख दीजिये :–

"(क) विभिन्न विधान-मंडलों और लोक-सभा के अध्यक्षों द्वारा इस अधिनियम के आरम्भ होने के एक मास के भीतर बनाये जायेंगे ।"

कुछ लोग मध्य भारत को सम्मिलित करना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं करना चाहते । हमें इस प्रश्न पर दूसरी प्रकार से विचार करना चाहिये । भाग क और ख राज्यों में भेद करने की क्या आवश्यकता है । भाग ख राज्यों को इस भेद से शिकायत है । परिसीमन के विषय में यह भेद रखने का कोई लाभ नहीं है । इस में कोई भेद न रखा जाये । इस बात में दोनों प्रकार के राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाये । प्रश्न यह नहीं है कि किन राज्यों के साथ भाग क राज्यों के समान व्यवहार किया जाये । प्रश्न यह है कि सब प्रकार के राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाये अथवा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य छोटे राज्यों के लिये भी बड़ा विधान-मंडल चाहते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हमें इस विषय पर जन-संख्या के आधार पर नहीं अपितु अन्य प्रकार से विचार करना चाहिये । भाग क राज्यों को यह बात खराब लगती है

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

कि सरकार उन के साथ भाग क राज्यों की अपेक्षा खराब व्यवहार करती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भेद तो संविधान में दिया गया है, उसे इस विधान से नहीं मिटाया जा सकता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : परिसीमन के विषय में यह भेद नहीं रखा जाना चाहिए । मेरा सुझाव यह है कि बिना जन-संख्या पर ध्यान दिये भाग क और ख के सब राज्यों में सात सम्बद्ध सदस्य रखे जायें । इस से कोई हानि नहीं होगी । भाग ख के राज्य इस भेद को ठीक नहीं समझते ।

दूसरे संशोधन के विषय में मुझे यह कहना है कि विधान-मंडलों और लोक-सभा के अध्यक्षों द्वारा सम्बद्ध सदस्य एक मास के भीतर नियुक्त किये जाने चाहियें । विधेयक के अनुसार लोक-सभा का अध्यक्ष दो मास के भीतर सम्बद्ध सदस्य नियुक्त कर सकता है । इस भेद की कोई आवश्यकता नहीं है । इस अवधि में भी एकरूपता होनी चाहिये ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ २, पंक्ति २४ में "having due regard to the" ["का समुचित ध्यान रखते हुए"] के बाद "political" ("राजनैतिक") रख दिया जाये ।

(२) पृष्ठ २, पंक्ति ३३ में "a right to vote" ["मत देने का अधिकार"] के पश्चात् "but they shall have a right to sign any final decision of the Commission provided that if they disagree on any point they will give their dissenting note." ["उन्हें आयोग के किसी अन्तिम विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा परन्तु यदि वे किसी बात पर सहमत न हों तो वे विमति-टिप्पण देंगे"] ये शब्द रख दीजिये ।

श्रीमान्, मेरा पहला संशोधन बड़ा साधारण है । 'सदनके संघटन' से बात स्पष्ट नहीं होती । यदि राजनैतिक शब्द जोड़ दिया जाये तो बात स्पष्ट हो जायेगी तथा अध्यक्ष सदस्यों को नियुक्त करते समय सदन के राजनैतिक दलों के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति कर सकेंगे । इस से अन्य दलों को यह शंका नहीं रहेगी कि जिस दल के हाथों में सत्ता है वह उसका अनुचित उपयोग कर रहा है । 'संघटन' के पहिले 'राजनैतिक' शब्द रखना आवश्यक है क्योंकि अध्यक्ष एक न एक दल का होता ही है ।

अभी सम्बद्ध सदस्यों को कुछ अधिकार नहीं दिये गये । मेरे दूसरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि उन्हें आयोग के अन्तिम निर्णयों पर हस्ताक्षर करने तथा विमति टिप्पण लिखने का अधिकार हो । भविष्य में यदि कोई कठिनाई हुई तो ये बड़े उपयोगी सिद्ध होंगें ।

श्री बिस्वास : क्या मैं आपको बतलाऊं कि किस आधार पर सम्बद्ध सदस्य नियुक्त किये जायेंगे ? उद्देश्य यह है कि परिसीमन आयोग को स्थानीय विशेषज्ञों की सहायता मिल सके । जितना बड़ा निर्वाचन-क्षेत्र होगा उतनी ही अधिक वहां की जन-संख्या होगी । अतएव वहां से अधिक सम्बद्ध सदस्य लिये जाने चाहियें क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति चाहते हैं जिन्हें स्थानीय क्षेत्रों का अधिकतम ज्ञान हो और जो आयोग की सहायता कर सकें । बहुत बड़े क्षेत्र का जितना ज्ञान २ व्यक्तियों को हो सकता है उतना १ व्यक्ति को नहीं हो सकता ।

इस के पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय नें श्री गुरुपादस्वामी का संशोधन प्रस्तुत किया

वह अस्वीकृत हुआ। श्री हेडा ने सदन की अनुमति से अपना संशोधन वापिस ले लिया। श्री चौधरी ने अपने संशोधन पर आग्रह नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"खंड ५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ६ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य एस० एन० दास संशोधन द्वारा नया खंड ६क जोड़ना चाहते हैं।

श्री एस० एन० दास: खंड ६ में एक त्रुटि है। यदि कोई सदस्य मर जाये या इस्तीफ़ा दे दे तो इसके अनुसार दूसरा सदस्य नियुक्त किया जा सकता है परन्तु यदि कुछ कारणों से वह अपना काम न कर सके तो उसके स्थान में दूसरा सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये और नया खंड जोड़ दिया जाये तो यह त्रुटि मिट जायेगी।

श्री बिस्वास: माननीय सदस्य का यह तात्पर्य है कि मृत्यु या पदत्याग के अतिरिक्त अन्य कारणों से अर्थात् शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता के कारण भी स्थान रिक्त हो सकता है। हमें आशा है कि ऐसी स्थिति में यदि वह व्यक्ति काम न कर सकेगा तो पदत्याग कर देगा हम ऐसी ही आशा करते हैं। यदि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश बीमार पड़ जाए तो वह पदत्याग कर देगा। इसके लिये उपबन्ध किया गया है। अतएव मै समझता हूं कि संशोधन आवश्यक नहीं है। यदि आप खंड ७ के उपखंड (५) को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां इस बात का उपबन्ध है कि आयोग और सम्बद्ध सदस्यों का समूह अपना काम करता रहेगा तथा किसी सदस्य या सम्बद्ध सदस्य की अनुपस्थिति से कोई बाधा नहीं पड़ेगी। मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करेंगे।

श्री एस० एन० दास: मैं आग्रह नहीं करता।

खंड ७ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ८ (पुनर्व्यवस्थापन आदि करने की विधि)

श्री बिस्वास: मैं प्रस्ताव करता हूं कि: पृष्ठ ४ में, पंक्ति २१ के बाद, निम्न-लिखित रख दिया जाये:

"परन्तु यदि आवश्यक हुआ तो आयोग वर्तमान ३ सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में किसी एक को अथवा दोनों को, सीमा में बिना परि-वर्तन किये अथवा परिवर्तन करने के पश्चात् बनाये रख सकता है तथा उसमें एक सीट अनुसूचित जातियों के लिये तथा दूसरी सीट अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित करेगा।"

यदि आप इस खंड का उपखंड २ (क) पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें लिखा है कि:

"सब निर्वाचन-क्षेत्र एक सदस्य वाले होंगे अथवा दो सदस्य वाले।"

उपखंड (२) (ख) में लिखा है:

"जहां व्यवहार्य हो वहां एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिमजाति के लोगों के लिये सीटें रक्षित की जा सकती हैं।"

उपखंड (२) (ग) में लिखा है:

[श्री विस्वास]

"प्रत्येक २ सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र में एक सीट अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों के लिये रक्षित की जायेगी । दूसरी सीट रक्षित नहीं की जायेगी।"

उपखंड (२) (घ) में लिखा है :

"वे निर्वाचन क्षेत्र जिन में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिये सीट रक्षित की गई है, यथाशक्य ऐसे क्षेत्रों में होंगे जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की घनी आबादी हो।"

उपखंड (२) (ङ) में यह लिखा है :

"यथा व्यवहार्य सब निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से संघटित होंगे तथा उनका परिसीमन करते समय भौगोलिक बनावट, प्रशासन के क्षेत्रों की वर्तमान सीमा, संचरण-सुविधा और लोकसुविधा का ध्यान रखा जायेगा।"

मेरे मित्र श्री बर्मन और दूसरे लोगों ने बताया था कि उपरिलिखित खण्डों के सब उपबन्धों का अक्षरशः पालन करने में उत्तरीय बंगाल का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाते समय बड़ी कठिनाई होगी । उस निर्वाचन क्षेत्र में जलपागुरी, कच्छबिहार और दार्जिलिंग के ज़िले हैं । केवल यही ३ सदस्यों वाला निर्वाचन क्षेत्र है। एक और क्षेत्र भी है पर वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नहीं है । वह राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन क्षेत्र है । वह बम्बई में नासिक-इगतपुरी निर्वाचन क्षेत्र है । पहले बार जब इस की चर्चा की गई थी तब न जाने इस के विषय में ठीक ठीक क्या स्थिति थी । परन्तु मैं ने पता लगा लिया है कि वह संसदीय निर्वाचनक्षेत्र नहीं है। पिछली बार जब मैं ने कहा था कि ३ सदस्य वाला केवल एक निर्वाचन क्षेत्र है तब मेरा आशय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से था । अतएव मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं ने सुना कि उस प्रकार का ३ सदस्यों वाला १ और निर्वाचन क्षेत्र है । बात वैसी नहीं है। मैं अब संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं । मैं ने इस बात का प्रयत्न किया है कि इस कठिनाई को सुलझाने वाला कोई मिल जाये । अभाग्यवश मैं उसे न सुलझा सका। एक बात यह हो सकती थी कि उसके दो सदस्य वाले दो निर्वाचन-क्षेत्र बना दिये जायें। इस से वह क्षेत्र भारित हो जायेगा । ऐसा करना न्याय्य नहीं है । इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और आदिम जाति के लोग अलग वर्ग के हैं। वहां अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की घनी आबादी है इस लिये उन के लिये एक सीट आरक्षित करनी पड़ेगी । अनुसूचित जाति के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिये अन्यथा उपबन्ध करना संभव नहीं है । वे बिलकुल अलग वर्ग के हैं। पश्चिमी बंगाल के अन्य स्थानों में ऐसी बात नहीं है । यहां की अनुसूचित जाति के लोग राजबंशी और कच्छ वर्ग के हैं। पश्चिमी बंगाल में अन्यत्र कहीं पर भी ऐसा नहीं है। अतएव हमें उनके प्रतिनिधित्व के लिये प्रबन्ध करना पड़ेगा । यदि एक सीट अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिये रक्षित की गई तो उस क्षेत्र को अनुसूचित जातियों के लोगों को एक सीट देनी पड़ेगी । एक सामान्य सीट रखनी पड़ेगी अन्यथा शेष जनता के साथ अन्याय हो जायगा । यहां पर अनुसूचित जातियों के लोगों की आबादी इतनी घनी नहीं है कि उन के लिये एक सीट रक्षित की जाये तथा सामान्य जनता की उपेक्षा की जाये। अतएव उन सब हितों में सामंजस्य स्थापित करने के लिये, जिन्हें प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, ३ सदस्य का निर्वाचन-क्षेत्र रखना ही पड़ेगा ।

प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ जो विमति टिप्पण जोड़ा गया था उस में यह सुझाव दिया गया था कि इस विषय पर परिसीमन आयोग फिर से विचार करे। इस के आधार पर ही मैं ने अपना संशोधन बनाया है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यासीन]

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व के लिये इस खास क्षेत्र में ३ सदस्यों वाला निर्वाचन-क्षेत्र बनाना आवश्यक है। मुझे आशा है कि इस से सदन में सब को सन्तोष होगा।

श्री बर्मन: मैं ने इस खंड के पूर्वार्ध के लिये एक संशोधन दिया है।

श्री दाभी (कैरा उत्तर): मैं ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

इसके पश्चात् सभापति महोदय ने श्री बिस्वास का संशोधन प्रस्तुत किया। वह स्वीकृत हुआ।

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा-डूंगरपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ ४ में २१ पंक्ति के बाद यह जोड़ दीजिये: "(च) यथाशक्य सब निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमित किये जायेंगे और उन का नाम इस तरह रखा जायेगा जिस से कि उनसे बड़े प्रशासनीय क्षेत्रों का पता लग जाये।"

मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि यदि निर्वाचन-क्षेत्र में छोटी बड़ी प्रशासकीय इकाईयां हों तो निर्वाचन-क्षेत्र का नाम बड़ी प्रशासकीय इकाई के अनुसार रखना चाहिये। बांसवाड़ा ज़िले में बागीदोरा निर्वाचन-क्षेत्र है। इस में बागीदोरा और कुशालगढ़ तहसीलें आती हैं। बागीदोरा छोटा सा गांव है परन्तु कुशालगढ़ राजस्थान की एक रियासत थी जिस का राजा था तथा जिसका प्रशासन अलग था। उस रियासत पर उस निर्वाचन-क्षेत्र का नाम नहीं रखा गया इस लिये वहां के लोग असंतुष्ट थे। चुनाव के सिलसिले में जब मैं वहां गया तब मैं ने देखा कि मत देने में उन्हों ने उत्साह नहीं बतलाया। उसी तरह उदयपुर ज़िले में सैरा निर्वाचन-क्षेत्र में खैरवाड़ा, फलासिया और कोटरा तहसीलें हैं। इन में खैरवाडा तो छोटा सा गांव है परन्तु शेष बड़े नगर हैं अतएव उन में से किसी के नाम पर ही इस निर्वाचन-क्षेत्र का नाम रखा जाना चाहिये। मेरा संशोधन स्वीकृत किया जाये।

श्री बिस्वास: यह निर्वाचन-क्षेत्र के सम्बन्ध की बात है। उत्तरी बंगाल के तीन सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्र का ही उदाहरण लीजिये। मैं न तो उसे जलपाइगुरी निर्वाचन क्षेत्र कह सकता हूं न दार्जिलिंग निर्वाचन-क्षेत्र। इस के लिये अधिनियम में उपबन्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिसीमन आयोग निर्वाचन-क्षेत्रों का नाम सब से महत्वपूर्ण ज़िले के ऊपर रखेगा।

श्री भीखा भाई: मैं आग्रह नहीं करता।

श्री गाडगिल: मैं ने एक संशोधन की सूचना दी थी कि पृष्ठ चार में पंक्ति ८ और ९ छोड़ दी जायें।

श्री तिम्मय्या: (कोलार-रक्षित-अनुसूचित जातियां): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ ४, में से ८ और ९ पंक्तियां हटा दी जाये।

मेरा अभिप्राय यह है कि एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिये सीट रक्षित कर देने से सामान्य सीटों के लिये चुनाव में खड़े होने के उनके अवसर कम हो जाते हैं। इस ध्येय से कि अनुसूचित जातियों को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिल गए उन्हें यह अधिकार दिया गया था कि वे सामान्य

[श्री तिम्मय्या]

सीटों के लिय भी चुनाव में खड़े हो सकेंगे । उन्हें सीट रक्षित कर देने से यह अधिकार कम हो जाता है । दूसरी बात यह है कि सीट रक्षित कर देने से केवल अनुसूचित जाति के लोग ही भाग लेते हैं तथा दूसरे लोग उदासीन हो जाते हैं । यह लगभग प्रथक् निर्वाचन-प्रणाली के समान बात हो जाती है जो कि संविधान की भावना के विरुद्ध है ।

विधि मंत्री ने कहा कि जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लोगों का पूर्ण बहुमत होगा वहां उस जाति के लोगों को एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र में भी सीट रक्षित की जायेगी । व्यवहार में इस से प्रथक् निर्वाचन-पद्धति बन जायेगी । गांधी जी इस के विरुद्ध थे ।

श्री सिद्धनंजप्पा (हासन चिकमगालूर) : मेरा संशोधन संख्या ३४ भी इसी प्रकार का है ।

इसके पश्चात् सभापति महोदय ने ३३वां संशोधन प्रस्तुत किया । ३४वां संशोधन ३३वें संशोधन के समान था इस लिये सभापति महोदय ने श्री सिद्धनंजप्पा से ३३वें संशोधन पर बोलने के लिये कहा ।

श्री सिद्धनंजप्पा : श्रीमान्, प्रवर समिति ने यह सिपारिश की थी कि यथाशक्य अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों के लिये एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में सीटें रक्षित कर दी जायें । यह बात असंवैधानिक है । संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह जिस चाहे उस निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव के लिये खड़ा हो सकता है तथा धर्म, जाति आदि के कारण उसे ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता । अनुसूचित जाति और आदिम जातियों के लोग उन निर्वाचन-क्षेत्रों से भी चुनाव के लिये खड़े हो सकते हैं जहां उन के लिये सीटें रक्षित नहीं हैं । उसी तरह उन लोगों को भी यह अधिकार होना चाहिये जो अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के नहीं हैं ।

संविधान के अनुच्छेद ३३० के अनुसार अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों के लिये सीटें तो रक्षित की जा सकती परन्तु निर्वाचन-क्षेत्र रक्षित नहीं किये जा सकते । यदि प्रवर समिति की सिपारिश को मान लिया जाये तो निर्वाचन-क्षेत्रों को रक्षित करना पड़ेगा और वहां से खड़े होने का दूसरे लोगों का अधिकार छिन जायेगा । मैं इस सिपारिश का विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय : क्या मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ?

श्री बिस्वास : जी नहीं श्रीमान् । मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय : तब मैं दूसरे लोगों को वादविवाद का अवसर दूंगा :

श्री बर्मन : श्रीमान्, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । इस उपबन्ध से किसी के मूलभूत अधिकारों को आघात नहीं पहुंचता । उनका तात्पर्य यह है कि सामान्य व्यक्ति उस स्थान से खड़ा नहीं हो पायेगा जहां उस का घर है और वह घर ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में पड़ता है जहां अनुसूचित जाति के लोगों के लिये सीट रक्षित की गई है । पर ऐसा व्यक्ति पास के निर्वाचन-क्षेत्र से तो अवश्य ही खड़ा हो सकता है ।

श्री तिम्मय्या ने बतलाया कि सीट रक्षित कर देने से अन्य जातियों के मतदाता उदासीन हो जायेंगे । यदि देश की यह दशा हो जायेगी तो हमें ईश्वर ही बचाये । जिन क्षेत्रों की आबादी में ५० प्रतिशत से अधिक लोग अनूसूचित जाति अथवा आदिम जातियों के होते हैं उन एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में इन जातियों के लिये सीटें रक्षित कर

देने में लाभ रहता है। मैं जो प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता था वह विधि मंत्री ने ही प्रस्तुत कर दिया है तथा सदन ने उसे पारित कर दिया है। मैं तीन सदस्य वाले निर्वाचन-क्षेत्र मिटाना चाहता था। यदि कच्छ बिहार ज़िले में अनुसूचित जातियों का बहुमत होगा तो आयोग को उसे एक सदस्य वाला रक्षित निर्वाचन-क्षेत्र बना देना चाहिये जिस से कि ३ सदस्य वाला निर्वाचन-क्षेत्र न बनाना पड़े। मैं श्री तिम्मय्या से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि सीट रक्षित कर देने से अन्य जातियों के लोग मत देने के प्रति उदासीन हो जायेंगे। अनुसूचित जातियों के लोग पिछड़े हुए हैं तथा उनकी आर्थिक दशा ख़राब है। उन के लिये सीट रक्षित कर देने से उनका ठीक ठीक प्रतिनिधि हो सकेगा। पिछले चुनाव में इसी प्रकार से परिसीमन किया गया था। इसके प्रति कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। इसे नहीं बदलना चाहिये।

श्री बिस्वास: मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे मित्र श्री बर्मन ने इसका कारण बतला दिया है। इस में कोई असंवैधानिक बात नहीं है। यदि हम ऐसा न करें तो उल्टे हमीं पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि हम संविधान में दी गई बात का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि संविधान में इस बात का आदेश है कि लोक सभा में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये सीटें रक्षित की जायेंगी। अतएव यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में हम सीट रक्षित करदें तो वह संविधान के विरुद्ध बात नहीं होगी। उस बात का उपबन्ध करने से हम संविधान की भावनाओं के अनुसार ही काम करते हैं। फिर यह बात भी तो है कि जहां पर अनुसूचित जातियों के लोगों की आबादी ५० प्रतिशत से अधिक होगी केवल उन्हीं एक सदस्य वाले क्षेत्रों में उन के लिये सीट रक्षित की जायेगी। यह बात हम ने आयोग पर छोड़ दी है और जहां पर व्यवहार्य होगा वे वैसा उपबन्ध करेंगे। अनुसूचित जाति और आदिम जाति के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिये हमें कुछ सीटें नियत करनी हैं। यह उनकी जनसंख्या तथा सकल जनसंख्या पर निर्भर रहेगा। हमें ये सीटें विस्तृत क्षेत्र में वितरित करनी हैं। सामान्यतया एक स्थान की अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व दूसरे स्थान में रहने वाला सदस्य करेगा परन्तु जहां पर उनका बहुमत है वहां उनके अलग प्रतिनिधित्व को नहीं रोकना चाहिये। सामान्यतया हमारी सब सीटें एक सदस्य वाली सीटें होनी चाहियें और वे एक सदस्य वाले निर्वाचन-क्षत्रों में नियत की जानी चाहियें। जहां पर यह व्यवहार्य होगा वहां पर ऐसा किया जायेगा।

सभापति महोदय: क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं?

श्री तिम्मया: जी।

इसके पश्चात् सभापति महोदय ने प्रश्न प्रस्तुत किया और सदन की अनुमति से संशोधन वापिस ले लिया गया।

सभापति महोदय: संशोधन संख्या ३१। श्री सोमना।

श्री एन० सोमना: मैं प्रस्ताव करता कि:

पृष्ठ ३ में ४२वीं पंक्ति हटा दी जाये।

खंड ८ (१) में उपबन्ध है कि जिन भाग ग राज्यों में विधान मंडल नहीं हैं उनकी लोक सभा में जो सीटें हैं वे घटाई नहीं जायेंगी। भाग ग के जिन राज्यों में विधान मंडल हैं और जिन में विधान मंडल नहीं हैं उन में भेद नहीं किया जाना चाहिये। जब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया तब इन

[श्री एन० सेमना]

राज्यों को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व देने के कुछ कारण थे । अब सरकार ने यह अतिरिक्त प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया है और न जाने उन राज्यों में क्यों भेद किया है जहां विधान मंडल हैं और जहां विधान मंडल नहीं हैं । इससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और भाग ग राज्य प्रशासन अधिनियम के उपबन्ध व्यर्थ हो जाते हैं । यदि आवश्यक हो तो सरकार भाग ख राज्यों की स्थिति का पुनर्विलोकन करे । उनको दिये गये अतिरिक्त प्रतिनिधित्व को सरकार न हटाये । उपबन्ध पर परिसीमा न लगाई जाये और भाग ग राज्यों के दो प्रकारों में कोई भेद न किया जाये ।

यदि इन राज्यों की स्थिति का पुनर्विलोकन करना है तो इस के लिये विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये । इन बातों को परोक्ष रूप में परिसीमा विधेयक में नहीं रखा जाना चाहिये ।

मेरे राज्य कुग म विधान मंडल है । परन्तु उसके प्रतिनिधित्व के लिये यहां केवल एक सीट है । यदि इसे घटाया गया तो मेरे राज्य का यहां पर प्रतिनिधित्व ही नहीं रहेगा । मेरे विचार में इसका प्रभाव उन भाग ग राज्यों पर पड़ेगा जहां पर विधान मंडल हैं तथा उन का अतिरिक्त प्रतिनिधित्व घटा दिया जायेगा । जिन कारणों से अतिरिक्त प्रतिनिधित्व दिया गया था वे कारण आज भी हैं । अतएव मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस परन्तुक की परिसीमा हटा दी जाये ।

श्री बिस्वास : श्रीमान्, मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकूंगा ।

पंडित सी० एन० मालवीय : (रायसेन) यदि मंत्री जी संशोधन स्वीकार न करें तो मुझे बोलने का अवसर दिया जाये ।

श्री गिडवानी (थाना) : श्रीमान् जी, मैं भी बोलना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल्पना क्यों करते हैं ?

श्री बिस्वास : श्रीमान् मैं इस कारण से संशोधन स्वीकार नहीं कर रहा हूं । यदि भाग ग राज्यों के तथ्य मालम होते तो यह संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जाता । संविधान के अनुसार भाग ग राज्यों के साथ विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाता है । संविधान के ८२ अनुच्छेद में इसका उपबन्ध है । पिछले समय किसी भी भाग ग राज्य में विधान मंडल नहीं था । इसलिए अन्य भाग क और ख राज्यों की अपेक्षा जहां पर विधान मंडल थे, इन राज्यों को लोक सभा में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व दिया गया था । अब मनीपुर, कच्छ और त्रिपुरा को छोड़कर सब राज्यों में विधान मंडल है । अतएव उन्हें लोक सभा में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है । मनीपुर, कच्छ और त्रिपुरा को जितनी सीटें नियत की थीं उन्हें नहीं घटाया जा रहा है । क्योंकि वहां विधान मंडल नहीं है । जिन भाग ग राज्यों की चर्चा की गई है जहां कोई विधान मंडल नहीं है वे राज्य ये ही हैं । उद्देश्य यह है कि इन राज्यों की पहिले के समान ही सीटें रहें । अन्य राज्यों में विधान मंडल हैं अतएव वहां की सीटों की संख्या सामान्य नियमों के अनुसार नियत की जाएगी ।

इसके पश्चात् सभापति महोदय ने उक्त संशोधन प्रस्तुत किया जो अस्वीकृत हुआ । संशोधन ३२ को प्रस्तुत करने के लिये श्री एस० एन० दास उपस्थित नहीं थे । श्री बर्मन ने अपना संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत नहीं किया । श्री हेडा भी उपस्थित नहीं थे । सभापति महोदय ने पंद्रहवां संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहा ।

श्री बर्मन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : पृष्ठ ४, पंक्ति १६ में "concentration" ("संकेन्द्रण") के बाद यह जोड़ दीजिये

"but in regard to scheduled castes, care should be taken to distribute the reserved seats in different areas of the state."

("परन्तु अनुसूचित जातियों के विषय में यह ध्यान में रखना चाहिये कि उनकी रक्षित सीटें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बांटी जाऐं।")

श्रीमान् ये शब्द प्रवर समिति की रिपोर्ट में हैं। पिछले चुनाव में राष्ट्रपति का भी यही निर्देश था। ये शब्द अधिनियम का अंग बना लिए जाऐं।

श्री बिस्वास : यह प्रवर समति का अभिप्राय था। पिछले समय इसी सिद्धांत के अनुसार कार्य किया गया था। मैं संशोधन स्वीकार करता हूं। हां इसमें प्रारूप संबंधी आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे।

इसके पश्चात् सभापति महोदय ने उक्त संशोधन प्रस्तुत किया। वह स्वीकृत हुआ।

श्री दाभी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ ४ पंक्ति ११ में "most concentrated" ("अति संकेन्द्रित") के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दीजिये :

"provided that a seat for the scheduled castes or the scheduled tribes in a single-member constituency shall not be reserved in areas where members of the scheduled castes or scheduled tribes as the case may be, do not form substantial majority."

("परन्तु ऐसे एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सीट रक्षित न की जाए जहां पर क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का पर्याप्त बहुमत न हो")

श्रीमान् मेरे संशोधन से प्रवर समिति का अभिप्राय स्पष्ट हो जायेगा। अभी खंड ८(२) (घ) से बात स्पष्ट नहीं होती।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यासीन]

विधि मंत्री जी ने यह बात मानली है कि केवल उन्हीं एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सीट रक्षित की जायेंगी जहां उनका बहुमत होगा। इन शब्दों से अर्थ स्पष्ट नहीं होता। एक तालुके में उनकी आबादी बहुत घनी है परन्तु उनका बहुमत नहीं है। कैम्बे का तालुक में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या ६८०५ है और अन्य मतदाताओं की संख्या ६७३८५ है। इस क्षेत्र के लिए एक सीट है जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रक्षित की गई है। यदि कैम्बें को एक सदस्य वाला निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया तो ९ प्रतिशत व्यक्तियों का तो प्रतिनिधित्व हो सकेगा परन्तु ९१ प्रतिशत व्यक्तियों का नहीं। दूसरे तालुके में इसी तरह का अन्याय हुआ है। नासवाडी एक सदस्य वाला निर्वाचन क्षेत्र है। वहां के मतदाताओं में से ३९·८ प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में उनके लिये सीट रक्षित कर दी गई है। शेष ६० प्रतिशत लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसी दशा में एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र नहीं बनाने चाहिये। यदि ऐसे स्थानों में दो सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाऐं तो अन्याय न हो पायेगा। आशा है मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाएगा.

श्री बिस्वास : वास्तव में तो यह खंड (ख) का परन्तुक है क्यों कि वे एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के विषय में बोल रहे थे और खंड (घ) में केवल सामान्य बातें हैं। मेरा सुझाव यह है कि जिस रूप में खंड (ख) है उस पर माननीय सदस्य विचार करें। उससे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जानी चाहिए। वहां पर कहा गया है कि :

"जहां कहीं व्यवहार्य होगा वहां एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए सीट रक्षित की जायेगी।"

पिछले समय उन स्थानों में अनुसूचित जाति और आदिम जाति के लोगों के लिए सीटें रक्षित नहीं की गई थीं जहां उनका बहुमत नहीं था। यह बात की गई थी परन्तु परिसीमन आयोग पर बात छोड़ दी गई थी। सारी बातों पर विचार कर जहां उन्हें व्यवहार्य मालूम पड़ेगा वहां वे वैसा करेंगे। उन विशेष वर्ग के लोगों के लिये एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र में सीट रक्षित न की जाएगी। इसलिये श्रीमान् मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं करता। वास्तव में तो यह भाग (ख) का संशोधन है भाग (घ) का नहीं।

श्री दाभी : मैंने उस निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दिया था जहां पर अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों का बहुमत नहीं है फिर भी उनके लिये सीट रक्षित की गई है।

श्री बिस्वास : फिर भी जिस रूप में इसे व्यक्त किया गया है यह भाग (ख) का परन्तुक है भाग (घ) का नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सदन के सामने न रखूंगा।

श्री कक्कन : (मदुरई–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : श्रीमान् मैं चाहता हूं कि जहां व्यवहार्य हो, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए बहुसदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें रक्षित की जाऐं जिससे कि वहां पर सामान्य सीट भी हो। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो तालुके जोड़े गए हैं और उसे दो सदस्य वाला निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया है। दो सीटों में से एक रक्षित है तथा दूसरी सामान्य है। पहले डिंडीगल तालुके में रक्षित सीट थी। वहां की जन संख्या ४ सीटों के लिए है। अतएव मेरूर तालुके की रक्षित सीट डिंडीगल में कर दी जाये। मेरा संशोधन स्वीकार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री।

श्री बिस्वास : मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करता। कारण बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाषण में वे कई बार दिये जा चुके हैं। मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसे सदन के समक्ष रखने की आवश्यकता है ?

श्री दाभी : मुझे संशोधन १८ प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करते हैं तो वे अपने सारे संशोधनों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री दाभी : मैंने समझा कि वह छप गया है। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने केवल संख्या १६ का संशोधन प्रस्तुत किया था। यह महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाऐं। परिसीमन का उद्देश्य यह है कि यथासंभव एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र हों जहां रक्षित सीटों का प्रश्न नहीं उठता हो। अनुसूचित जाति और आदिम जातियों के लिए सीटें रक्षित करने के लिए

दो या अधिक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। इससे अधिक करना इस विधेयक की नीति नहीं है। दो तीन अपवादात्मक मामले ऐसे हैं जहां एक ही निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और आदिम जातियों के लिये सीटें हैं तथा सामान्य सीट भी है।

श्री बिस्वास: इनका संशोधन भाग (ङ) से संबंध रखता है। ये "existing boundaries of administrative units" ("प्रशासन की इकाइयों की वर्तमान सीमाओं") में से "existing" ("वर्तमान") शब्द निकालना चाहते हैं।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने प्रश्न प्रस्तुत किया। वह स्वीकृत हुआ। खंड ८ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ६, १० १, नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना लिए गए।

श्री बिस्वास: मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"संशोधित रूप में विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय ने उक्त प्रश्न प्रस्तुत किया। वह स्वीकृत हुआ।

महाराष्ट्र में दुर्भिक्ष स्थिति

श्री कानावडे पाटिल (अहमदनगर उत्तर): श्रीमान् मैं आपको धन्यवाद देता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष को धन्यवाद देने में समय नष्ट न करें।

श्री कानावडे पाटिल: महाराष्ट्र के आठ ज़िलों में दुर्भिक्ष की स्थिति की चर्चा करने के लिये आपने आधे घंटे का समय दिया है।

प्राप्त रिपोर्टों से मुझे मालूम हुआ है कि अहमदनगर, शोलापुर, और खानदेश के ज़िलों में स्थिति बहुत खराब है और केन्द्र तथा राज्य सरकार की सहायता की बड़ी आवश्यकता हैं। दाना-चारे की वहां बड़ी तंगी है। कडबी वहां उपलब्ध नहीं है। चारे-पानी के अभाव में हजारों पशु मर गए हैं। अहमदनगर ज़िले के दक्षिणी भाग तथा कोपरगांव, नेवास और दूसरे तालुकों से हज़ारों लोग रोजी की तलाश में अन्यत्र चले गए हैं। आसपास के ज़िलों में भी यही स्थिति है। अन जाने लोग उन स्थानों में जाते हैं और निराश होकर वहां से लौटते हैं। केसरी और नवकाल, दो मराठी समाचार पत्रों से मुझे मालूम हुआ है कि नवासी तालुक जनविहीन हो गया है।

बम्बई सरकार और वहां के मंत्रियों ने जो सहायता दी है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। पर उन्होंने बहुत कम रुपया व्यय किया है। भारत सरकार ने अहमदनगर और अन्य ज़िलों में किसानों को तकाबी बांटने में १,०२,६३,००० रुपया खर्च किए हैं। अन्य प्रकार की सहायता में १,२५,००,००० रुपए व्यय किए गए हैं। यह काफ़ी नहीं है।

१६ दिसम्बर १६५२ के बम्बई क्रानिकल के अंक में जो रिपोर्ट छपी है उसमें बतलाया गया है कि लोगों की आम शिकायत यह है कि सरकार ने पर्याप्त सहायता नहीं दी और शीघ्र सहायता नहीं दी। उससे लोगों को स्थायी सहायता नहीं मिली। केवल अहमदनगर में ही १३ करोड़ रुपए की हानि हुई है। ७ अन्य ज़िले भी दुर्भिक्ष-ग्रस्त हैं।

यदि यह वास्तविक स्थिति है तो बम्बई सरकार ने जो सहायता दी है वह बहुत ही कम है। मैं पिछले तीन-चार दिनों से खाद्य तथा कृषिमंत्री का ध्यान इस भयानक स्थिति की ओर आकर्षित कर रहा श्री किदवई ने सहानुभूति दर्शाई और लोगो

[श्री कानावडे पाटिल]

की कठिनाइयों को समझने का प्रयत्न किया। यदि संभव हुआ तो वे अहमदनगर जाऐंगे जिससे कि उन्हें वहां की स्थिति का ज्ञान हो जायेगा। इस महीने की १५ तारीख को पूछे गये अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में कृषि-मंत्री श्री देशमुख ने बताया था कि अहमदनगर के केवल दो तालुकों में दुर्भिक्ष है। यह सूचना उन्होंने बम्बई सरकार की रिपोर्ट से प्राप्त की है। वह रिपोर्ट ठीक नहीं है। केवल अहमदनगर में ही ११ तालुके दुर्भिक्षग्रस्त हैं। १६-१२-५२ के मराठी समाचार पत्र केसरी में लिखा है कि अहमदनगर के १३ तालुकों में से ११ में भयंकर दुर्भिक्ष है जिसका प्रभाव अगले ८-१० महीनों में ५-७ लाख लोगों पर पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार अहमदनगर के लगभग ४५० गांवों में दुर्भिक्ष है। इन गांवों को छोड़कर लोग अन्यत्र जा रहे हैं। पीने के पानी के अभाव में लोग यहां से वहां भटक रहे हैं और दूर दूर से पानी लाते हैं। कसाइयों ने बहुत कम दामों में उनके पशु काटने के लिए खरीद लिए हैं। वलाकी और काष्टी के ढोर बाजारों में ५००-७०० रुपये के ढोर बड़े सस्ते में बेचे गये। अतएव मेरा नम्र निवेदन है कि इन दुःखी लोगों की सहायता करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए। उनके लिए पानी, चारे और खाद्य का प्रबन्ध किया जाए। इस समय विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए। यदि सहायता न दी गई तो वहां के लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। लोगों को अपने गांवों में वापिस भेजने का प्रयत्न करना चाहिए और उन्हें वहां पर कुएं आदि खोदने का काम दिया जाना चाहिए। पशु-शिविर की भी आवश्यकता है। सरकार इन सब के लिए अनुदान दे। इस क्षेत्र में सदैव दुर्भिक्ष पड़ते रहते हैं। अतएव मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री से अपील करता हूं कि कुछ स्थायी सहायता दी जाए। इसके लिए महाराष्ट्र के लोग केन्द्र का बड़ा आभार मानेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं। प्रत्येक को दो दो मिनट दिए जाऐंगे। वे मंत्री को इसके विषय में बातें बतलायें जिससे कि मंत्री जी उन पर ध्यान दे सकें।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मैंने उन पर ध्यान दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बोगावत।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण): मेरे मित्र ने अहमदनगर की दुर्भिक्ष स्थिति का वर्णन किया है। महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में तथा हैदराबाद राज्य और बीजापुर के कुछ भागों में भी दुर्भिक्ष है। गत ५० सालों में इतना बड़ा दुर्भिक्ष कहीं नहीं पड़ा। कुए सूख गये हैं। उनसे सिंचाई नहीं हो सकती। दुर्भिक्ष के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। कुछ लोग बेकारी के कारण यहां वहां घूम रहे हैं। यदि केन्द्र ने सहायता न दी तो बम्बई सरकार इस स्थिति को नहीं संभाल सकेगी। मेरा सुझाव यह है कि यदि कोकडी या मूला नदी में कोई योजना पर काम आरम्भ कर दिया जाए तो वहां लाखों लोग काम के लिए आयेंगे। मैं खाद्य मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे वहां जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करें।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक-मध्य): श्रीमान् राज्य के कर्मचारियों ने महाराष्ट्र की स्थिति की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया है। मुझे यह समाचार मिले हैं कि वहां की स्थिति गंभीरतम होती जा रही है। मालेगांव, येवला, और चन्दूर तालुकों के सब भागों में तथा निफाड और सतारा तालुकों के कुछ भागों में दुर्भिक्ष है। बम्बई सरकार के राजस्व मंत्री ने सहायता देने का प्रयास किया है। कुछ तालुकों में पीने के पानी की बड़ी कठिनाई है। नासिक रोड में गत वर्ष केवल १०

इंच और इस वर्ष १२ इंच वर्षा हुई है। भारत सरकार की नासिक में टकसाल है। वहां पर पीने के पानी का प्रबन्ध किया गया है सरकारी अफ़सरों के पास में मैं गया था। वे लोगों की कठिनाई को नहीं समझ सके। जब लोग पानी के लिये तरस रहे थे तब इन अफसरों के यहां पानी की बहुलता थी।

इस क्षेत्र में दो बातें करना बड़ा आवश्यक है। वहां के लोगों की बेकारी मिटानी चाहिए तथा चारे का प्रबन्ध करना चाहिये। लोगों को काम देने सम्बन्धी ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिससे कि इस क्षेत्र में फिर कभी दुर्भिक्ष न पड़े। यहां पर तालाब और अन्य छोटे सिंचाई के साधन बनाए जाना चाहिए। मुझे रिपोर्ट मिली है कि मेरे ज़िले में पैसे की कमी के कारण वहां पर काम रोक दिये गए हैं। लोग भी चन्दा देने के लिये तैयार हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि राज्य की सरकार ने आवश्यक रुपए क्यों नहीं दिए।

यदि इन लोगों को काम नहीं दिया गया तथा इनके लिए पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं किया गया तो यहां के मनुष्य और पशुओं के प्राण नहीं बचाए जा सकेंगे। इस स्थान में बार बार दुर्भिक्ष पड़ेंगे। शोलापुर और बीजापुर ज़िलों में भी लोग दुर्भिक्षग्रस्त हैं। बम्बई राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी दुर्भिक्ष है। मैं केन्द्र से प्रार्थना करूंगा कि वह बम्बई राज्य के इस विषय में सहायता दे।

श्री एम० डी० जोशी : (रत्नागिरी दक्षिण) : श्रीमान् महाराष्ट्र में लगभग सदैव ही दुर्भिक्ष रहता है। यहां वर्ष भर में जितना अन्न उत्पन्न होता है वह चार महीने के अन्दर समाप्त हो जाता है। यदि बम्बई राज्य की सरकार तथा केन्द्रीय सरकार इस समस्या पर पहिले विचार करती तो महाराष्ट्र की आज यह दशा न होती। मेरा सुझाव यह है कि मेरे मित्र ने जिन योजनाओं की चर्चा की है उन्हें सरकार अपने हाथों में ले ले जिससे कि भविष्य में दुर्भिक्ष न पड़े।

श्री अलेकर (उत्तर सतारा) : उत्तर सतारा की कांग्रेस समिति के सभापति ने मेरे पास सूचना भेजी है कि उस ज़िले के पूर्वीय भाग की स्थिति बड़ी गंभीर है। इस क्षेत्र को इस प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए जिससे कि भविष्य में यहां पर दुर्भिक्ष न पड़े। मेरा सुझाव है कि वहां के तालुकों के तालाबों की कोवड़ फिरवा कर उन्हें साफ करवाया जाए। इस क्षेत्र में नए तालाब भी बनवाये जाने चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि खोदशी कृष्णा नहर पूर्वीय भागों तक ले जाना चाहिए क्योंकि वहां पर बहुत कम वर्षा होती है। कोयना नदी पर निसरा के पास बांध बनाने से इस नहर में पानी पहुंचाया जा सकता है। कोयना बांध से काफ़ी पानी छोड़ा जाता है। इसे निसरा के पास रोका जा सकता है। खोदशी जलाशय के पास इसे कृष्णा नदी में मिलाने से हज़ारों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। फिर दुर्भिक्ष कभी भी न पड़ेंगे।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : महाराष्ट्र की दशा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ठोस सुझाव दें।

श्री एस० एस० मोरे : जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आया हूं वहां की दशा दुर्भिक्ष के कारण बड़ी खराब हो गई है। पदाधिकारियों से मैंने इसकी शिकायत की परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। माधव तालुक में २३,५५५ लोगों में से ९,१२३ अन्यत्र चले गए हैं। वहां २५,००० पशुओं में से लगभग १,३५३ मर गए हैं। मोहोल तालुक में १,०५,०७१ लोगों में से ११,९३० अन्यत्र चले गये हैं और २४,७७२ लोग बेकार हैं

[श्री एस० एस० मोरे]

वहां के ८५,५३९ पशुओं में से ५५७ मर गए हैं। जिन्ती तालुक में ५ लोग भूख से मर गए हैं। समस्त बारसी तालुक दुर्भिक्ष-ग्रस्त है। स्थानीय पदाधिकारियों ने सड़क का काम आरम्भ किया था उससे लोगों को कुछ काम मिला परन्तु वर्षा आने पर वह बन्द कर दिया गया। यदि अहमदनगर को दुर्भिक्ष से १३ करोड़ रुपये की क्षति हुई है तो शोलापुर को अवश्य ही २० करोड़ की क्षति हुई होगी। हम लोग तो वैसे ही पहले से ग़रीब हैं। मैं डा० देशमुख से प्रार्थना करूंगा कि वह जाकर वहां की दशा देखें, कर्मचारियों पर निर्भर न रहें, क्योंकि वह वहां के लोगों की कठिनाइयों को घटाकर दिखलाते हैं। दुर्भिक्ष सहायता समिति के सभापति प्रो० डा० डी० आर० गाडगिल ने कहा है कि कई वर्षों से महाराष्ट्र में ऐसा दुर्भिक्ष नहीं पड़ा है। यदि हम नौकरशाही पर निर्भर रहें तो दुर्भिक्ष पीड़ित व्यक्तियों को कोई सहायता न मिल सकेगी।

श्री पाटसकर (जलगांव) : महाराष्ट्र के अहमदनगर और शोलापुर ज़िलों में सदैव दुर्भिक्ष पड़ते रहते हैं परन्तु पूर्वीय और पश्चिमी खानदेश के दो ज़िलों में भी इस वर्ष दुर्भिक्ष पड़ गया है। ये ज़िले बरार के समान उपजाऊ हैं और पिछले ४० वर्षों से मैं ने वहां कोई दुर्भिक्ष नहीं देखा परन्तु पिछले दो वर्षों से वहां भी दुर्भिक्ष पड़ गया है। वहां छोटे सिंचाई के साधनों के बनाने से कोई लाभ नहीं है। वहां पर गिरना नदी योजना के समान बड़ी योजनाएं कार्यान्वित की जानी चाहिए। बम्बई राज्य के अन्य भागों में भी अभाव है। कर्नाटक क्षेत्र के कुछ भागों में अहमदाबाद और कैरा ज़िलों में तथा गुजरात के कुछ भागों में अभाव है। दशा को सुधारने के लिए बम्बई राज्य के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। इसलिये वे विभिन्न क्षेत्रों को दुर्भिक्ष क्षेत्र घोषित नहीं करते। डा० देशमुख वहां जाएं और नई दृष्टि से स्थिति पर विचार करें। यदि केन्द्रीय सरकार बम्बई सरकार को सहायता दे तो वहां के लोगों को सहायता मिल सकेगी। मेरा सुझाव यह है कि वहां सड़कें बनाने तथा अस्थायी सहायता देने से कोई लाभ न होगा। हमें चाहिए कि हम वहां पर व्यर्थ में रुपए व्यय न क और ३-४ बड़ी नदियों की योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें। जो कुछ रुपया हमें व्यय करना है वह इन पर व्यय करें। इससे उन क्षेत्रों को सहायता मिल सकेगी जहां पर सदैव दुर्भिक्ष पड़ते रहते हैं। यदि केन्द्र से सहायता न मिलेगी तो वहां की दशा नहीं सुधरेगी।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह सवाल उठा है, दुष्काल के बारे में, उसकी हालत बहुत खराब है। सब जगह के हमारे पार्टीज के लोग इकट्ठा हो कर जो कुछ यहां पर आपके सामने रखते हैं मुझे उम्मीद है कि हमारे मंत्री महोदय इस के बारे में ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि वहां की परिस्थिति बहुत खराब है। मैं शोलापुर ज़िले की तरफ से चुनाव में आया हूं और वहां की परिस्थिति से खास कर के शिड्यूल्ड कास्ट के लोग बहुत अफैक्टैड हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां जो कामगार लोग हैं उन की तरफ़ ध्यान देना चाहिए। उन को पेट भर अनाज नहीं मिलता। मेरे मित्र श्री गायकवाड़ जो बम्बई स्टेट शिड्यूल्ड कास्ट फैडरेशन के प्रेसीडेंट हैं और हमारे शोलापुर जिले के मिनिस्टर बावर और रणसुंगारे ने बहुत खत मुझको लिखे हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि कम से कम सब पार्टी के लोगों की एक कमेटी बनाई जाय और हमारी गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यह हमारे

पूरे महाराष्ट्र का सवाल है और महाराष्ट्र के सब लोग इकट्ठा होकर हम लोग आपके पास आये हैं ।

एक दूसरी बात और है और वह यह है कि प्राहीबिशन से १४ करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है । मैं सजैष्ट कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य केवल दुर्भिक्ष पर बोलें । वे व्यर्थ ही में शराबबन्दी की चर्चा न करें ।

श्री पी० एन० राजभोज: १४ करोड़ रुपये का जो नुकसान हमारे प्रांत में होता है इसलिये मैं बोल रहा हूं । दूसरी कोई बात नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को दुर्भिक्ष के लिये अधिक सहायता पाने की चिंता है अथवा शराबबन्दी समाप्त करने की ?

श्री पी० एन० राजभोज: वहां पर तालाब का काम शुरू होना चाहिए । ग़रीबों के लिये वहां तालाब बनाये जायें, कुंओं के बारे में, जानवरों के चारे के बारे में और कई जगह राशन नहीं मिलता, इन सब के बारे में इंतजाम होना चाहिये । कई प्रकार के काम हैं जिन से ग़रीब लोगों की , सब लोगों की भलाई होती है वह शुरू करने चाहियें । सब लोगों के कोअपरेशन से यह काम होना चाहिये । मैं देशमुख साहब से और किदवई साहब से अपील करता हूं कि इस दुर्भिक्ष में हम लोग ज्यादा अफैक्टैड हैं इसलिये कम से कम हम लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय: यह असामान्य परिस्थिति है इसलिये मैं आधे घंटे से अधिक समय दे रहा हूं । मंत्री जी सब प्रश्नों का उत्तर बाद में दें ।

श्री किदवई: मैं केवल उत्तर ही नहीं दूंगा, सुझाव भी दूंगा ।

श्री नेसवी (धारवाड़ दक्षिण) : श्रीमान्, कर्नाटक में भी वही दशा है । बीजापुर ज़िला, धारबाड़ ज़िले के ६ तालकों और बेलगांव के ४ तालुकों में दुर्भिक्ष है । बम्बई राज्य की सरकार ने कोई सहायता नहीं दी है तथा उसकी उपेक्षा की है । अतएव मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । कई योजनाओं को हाथ में लिया जा सकता है जिनसे दुर्भिक्ष-ग्रस्त लोगों को सहायता मिल सकती है । तुंगभद्रा पर बांध बनाया जा सकता है । बैरानपद योजना पर भी काम आरम्भ किया जा सकता है । इन से विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी । मदगमसूर झील की योजना भी कार्यान्वित की जा सकती है । इस तरह घाटप्रभा योजना पर भी काम किया जा सकता है । धारवाड़ जिले में कई तालाब हैं जो मिट्टी से भर गये हैं । यदि इन्हें साफ करवा दिया जाए तो इन में बहुत पानी इकट्ठा किया जा सकता है । सरकार इन सब कामों के लिये पर्याप्त रुपया दे । इन तालाबों के सुधर जाने से खेती में बड़ी सहायता मिलेगी । शाखा सड़कों को बनाने का काम तुरन्त ही हाथ में लिया जा सकता है । इससे बेकार लोगों को काम मिल जायेगा ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : जिस कान्फ्रेन्स की चर्चा श्री मोरे ने की है उसने यह राय प्रकट की थी यदि मनुष्यों और पशुओं की रक्षा करना है और वहां की अर्थ व्यवस्था को बनाए रखना है तो सहयोग से कार्य करना पड़ेगा और उसे बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा । इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार बम्बई सरकार को दस करोड़ रुपये दे ।

श्रीमती मायदेव (पूना दक्षिण) : श्रीमान्, एक दो दिन पूर्व मुझे यह सूचना मिली है कि इस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है तथा जलाशयों में बहुत कम पानी है । अभी तक गांवों में दुर्भिक्ष के लिये काम आरम्भ

नहीं किए गए हैं न चारे का ही प्रबन्ध किया गया है। वहां पशु मर रहे हैं तथा ५ से लेकर २५ रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। बम्बई सरकार स्थिति को संभालने में असमर्थ दीखती है अतएव केन्द्र को उसकी सहायता करनी चाहिए।

श्री के० एल० मोरे (कोल्हापुर व सतारा–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : बम्बई सरकार पर्याप्त सहायता नहीं कर पाई है अतएव मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस काम में बम्बई सरकार की सहायता करे।

डा० सुरेशचन्द्र (औरंगाबाद) : बम्बई राज्य के दुर्भिक्ष के विषय में काफी कहा जा चुका है। औरंगाबाद और अन्य तालुकों में भी दुर्भिक्ष है। वहां पानी का भी अभाव है। हैदराबाद सरकार ने उस क्षेत्र के लोगों को सहूलियतें दी हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उस क्षेत्र में सहायता पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना पूर्व) : मैं समझती हूं कि आपको समझने में गलत फ़हमी है ; मैं अपने लिए नहीं कह रही हूं। चारों तरफ ऐसे इलाके हैं, जो फैमिन से एफ़ैक्टेड हैं जिनके बारे में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं ने सोचा कि जब हर निर्वाचन क्षेत्र की बात यहां पर आ रही है तो मैं भी क्यों न एक बड़े इलाके और दायरे को लेकर उस के बारे में आप से कुछ सिफारिश कर दूं। आप को तो मालूम ही है और बहुत से अखबारों में भी यह बात पढ़ने को मिली है कि गोरखपुर और उत्तरी बिहार के इलाके की तरफ़ कहत का कितना असर है। मैं अपनी कांस्टीटुएन्सी के बारे में नहीं कहती, क्योंकि यह तो खुदगरज़ी हो जायगी, मैं तो दूसरों के लिये यहां पर, आप से उन की सिफारिश कर रही हूं और उन की आवाज़ आप तक पहुंचा रही हूं और मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहती हूं कि खासकर हमारा जो उत्तरी बिहार का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है और जो अकाल से बुरी तरह ग्रस्त है उस की तरफ़ भी ध्यान देंगे और उसके लिये आप मदद का प्राविज़न करेंगे और सिर्फ बम्बई और महाराष्ट्र के झमेले में ही नहीं पड़े रहेंगे। बस मुझे इतना ही अर्ज करना है।

श्री किदवई : श्रीमान्, महाराष्ट्र की बात करने के पहले मैं पिछले वक्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्वीय ज़िलों के विषय में कहा। गत वर्ष उस क्षेत्र में बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था। परन्तु उस क्षेत्र से चुने गये सदस्यों ने उसके विषय में उतने ज़ोर से उस क्षेत्र की वकालत नहीं की थी जितनी महाराष्ट्र के सदस्यों ने आज की है। मेरे विचार में महाराष्ट्र को इस बात की बधाई देनी चाहिये कि वहां से ऐसे सदस्य चुन कर आये हैं जो उसके विषय में इतनी जोरदार वकालत कर सकते हैं। मैं इन मित्रों को आश्वासन देता हूं कि बम्बई राज्य परीक्षण कर्म अथवा दूसरे प्रकार की सहायता की जो भी योजना बनाएगी उसमें हम आवश्यक वित्तीय सहायता देंगे।

मेरे माननीय मित्रों को मालूम है कि दुर्भिक्ष में सहायता करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है परन्तु कुछ वर्षों से केन्द्रीय सरकार उस भार के वहन करने में हाथ बटाती है। आज हमने यह बात मान ली है कि इस में जो कुछ व्यय होगा उसका आधा हिस्सा हम सहायता और उधार के रूप में देंगे। अतएव महाराष्ट्र से आने वाले मित्रों को मैं सलाह दूंगा कि वे यहां से जाकर उन

सहायता के साधनों के विषय में चर्चा करें जिनका सुझाव उन्होंने यहां दिया है। इन योजनाओं के विषय में वे वहां की राज्य सरकार से चर्चा करें। भावयश सहायता के काम में लगे हुए बम्बई सरकार के तीन मंत्री महाराष्ट्र के ही हैं।

श्री एस० एस० मोरे: इसका हमें भय है।

श्री किदवई: स्वभावतया वे उतने ही योग्य होंगे जितने महाराष्ट्र के यहां पर आए हुए प्रतिनिधि हैं। उस राज्य के विधान मंडल में महाराष्ट्र के प्रतिनिधि भी इतने ही जोशीले होंगे। बम्बई सरकार जो योजना बनाएगी उसकी हम वित्त द्वारा तथा अन्य प्रकार से सहायता करेंगे।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हाल ही में रायलसीमा और कोलार गोल्ड फील्ड के क्षेत्रों की दशा का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी तथा उससे कहा गया था कि स्थायी सहायता देने के विषय में यह सुझाव दे। उस समिति से कहा गया है कि वह इस क्षेत्र का भी अध्ययन करे। उस स्थिति का अध्ययन करने के लिए हम अपने कार्यालय से भी एक पदाधिकारी भेज रहे हैं। वह आज प्रातः चला गया होगा अथवा आज शाम को चला जायेगा। यदि बम्बई सरकार को हम कोई विशेष सुझाव देना चाहेंगे तो हम वह सुझाव दे गे। मैं सदस्यों को आश्वासन दिलाता हूं कि स्थिति को सम्हालने के लिए चारे, अन्न अथवा रुपये की जो आवश्यकता पड़ेगी वह दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय: कल पौने ग्यारह बजे तक के लिये सदन की बैठक स्थगित होती है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शनिवार, २० दिसम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई